अध्याय–2
अनुपालना लेखापरीक्षा (राजस्व क्षेत्र)

अध्याय-II

अनुपालना लेखापरीक्षा (राजस्व क्षेत्र)

क. सामान्य

2.1 कर प्रशासन

2.1.1 बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/राज्य आबकारी

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क का व्यवस्था करता है। राज्य आबकारी व कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है तथा तीन अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, दो संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त व पांच उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त इसके सहायक होते हैं। क्षेत्र में जिला स्तर पर 12 उपराज्य आबकारी एवं कराधान आयुक्त हैं जिन्हें 119 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित कर कानूनों एवं नियमों की व्यवस्था हेतु विभाग एवं अन्य कर्मचारियों की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में राज्य आबकारी एवं कराधीन अधिकारी व सहायक राज्य आबकारी एवं कराधान अधिकारी होते हैं।

2.1.2 स्टाम्प शुल्क

राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के माध्यम से सरकारी स्तर पर प्रलेखों के पंजीयन पर नियंत्रण रखती है। महानिरीक्षक पंजीयन, राजस्व विभाग का प्रमुख (अध्यक्ष) होता है जिसे क्रमश: उप-आयुक्तों (कलेक्टर) एवं उप-पंजीयकों द्वारा सहायता दी जाती है। उसे पंजीकरण-कार्यों के अधीक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार सौंपा गया है। स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का उदग्रहण करने एवं संग्रहण के लिए राज्य में 12 कलेक्टर एवं 117 तहसीलदार/नायब तहसीलदार है जो कि क्रमश: पंजीयक व उप-पंजीयक के रूप में कार्यरत् है।

2.1.3 वाहनों, यात्रियों एवं माल पर कर

प्रधान सचिव (परिवहन) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है। विभाग में एक राज्य परिवहन प्राधिकरण, एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विशेष पथ कर), 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और 63 पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण होते है, जो केंद्र व राज्य मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत विभाग की प्राप्तियों को विनियमित करते हैं। आयुक्त (उत्पाद शुल्क और कराधान) के प्रशासनिक नियंत्रण में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त यात्रियों एवं माल कराधान अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्राप्तियों को विनियमित करता है।

2.1.4 वन प्राप्तियां

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग का अध्यक्ष है। प्रधान मुख्य अरण्यपालको 37 क्षेत्रीय मण्डलों के आठ वन अरण्यपाल सहयोग प्रदान करते है। प्रत्येक अरण्यपाल वन मण्डल अधिकारियों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन किये जा रहे वन दोहन कार्यकलापों एवं पुनरूत्पत्ति का नियंत्रण करता है। प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी अपने क्षेत्रीय मण्डल में वन सम्बन्धी सौंपे गये कार्यकलापों का प्रभारी होता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2018-19 के दौरान बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क, वाहन, यात्री व माल कर तथा वन प्राप्तियों के अंतर्ग्रस्त कुल 383 इकाईयों में से 166 इकाईयों की नमूना जांच संचालित करने पर 1,168 मामलों में ₹ 297.10 करोड़ के सकल राजस्व का अवनिर्धारण/अल्प उदग्रहन उजागर हुआ, जैसा कि **तालिका 2.1** में वर्णित है।

तालिका 2.1: लेखापरीक्षा परिणाम

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर			
1.	कर का अवनिर्धारण	16	1.5
2.	दोषपूर्ण सांविधिक फार्म सी,डी, ई व एफ की स्वीकृति	24	13.29
3.	बिक्री/खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	43	10.86
4.	निवेश कर क्रेडिट की अनियमित/गलत/अधिक छूट	36	8.08
5.	कर की गलत दर लागू करना	37	24.83
6.	अन्य अनियमितताएं	115	11.99
	कुल	**271**	**70.55**
अन्य कर एवं भिन्न कर			
1.	मनोरंजन कर	10	0.47
2.	बहुउद्देशिय चुंगी एवं विलासिता कर	35	0.13
	कुल	**45**	**0.60**
राज्य आबकारी			
1.	उत्पाद शुल्क की अल्प/वसूली	07	4.71
2.	लाइसेंस फीस/ब्याज/शास्ति आदि की अल्प/अवसूली	35	103.55
3.	अन्य अनियमितताएं	30	1.40
	कुल	**72**	**109.66**
स्टाम्प शुल्क			
1.	सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण तथा आवास ऋण पर अनियमित छूट	04	0.33
2.	स्टम्प शुल्क व पंजीकरण फीस का अल्प/उद्ग्रहण	133	7.65
3.	पट्टानामें पर स्टाम्प शुल्क की अल्प/अवसूली	32	2.67
4.	अन्य अनियमितताएं	136	0.00
	कुल	**305**	**10.65**
वाहन, यात्री एवं माल कर			
1.	**निम्न की अल्प/अवसूली**		
	• टोकन कर व समग्र शुल्क	117	6.34
	• विशेष पथ कर	38	25.86
	• यात्री व माल कर	14	1.77
2.	**निम्न का अपवंचन**		
	• टोकन कर	33	1.83
	• यात्री व माल कर	21	50.10
3.	अन्य अनियमितताएं		
	• वाहन कर	171	0.97
	• यात्री व माल कर	17	0.0007
	कुल	**411**	**86.87**
वन प्राप्तियां			
1.	रॉयल्टी की अल्प/अवसूली	25	11.22
2.	ब्याज/विस्तार शुल्क का अनुद्ग्रहण	06	0.10
3.	जब्त की गई लकड़ी की बिक्री न करने के कारण राजस्व का ठहराव/हानि	09	2.76
4.	अन्य अनियमितताएं	24	4.69
	कुल	**64**	**18.77**
	सकल योग	**1,168**	**297.10**

स्रोत: :निरीक्षण प्रतिवेदन

2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 1,168 मामलों में ₹ 297.10 करोड़ राशि की सकल राजस्व हानि उजागर की गई (2017-18 के दौरान सकल कर व कर भिन्न राजस्व ₹ 9,471.52 करोड़ का 3.14 *प्रतिशत*)। वर्ष 2018-19 के दौरान, विभाग ने 860 मामलों में ₹ 18.59 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया जिसमें से 188 मामलों के ₹ 3.92 करोड़ विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे। विभाग ने वर्ष 2018-19 के दौरान 195 मामलों में ₹ 2.72 करोड़ राशि की वसूली की (₹ 18.59 करोड़ की स्वीकृत राशि का 14.63 *प्रतिशत*)।

बिक्री, व्यापार मूल्य वर्धित कर इत्यादि पर कर राज्य उत्पाद, स्टाम्प शुल्क/पंजीयन फीस, वाहन, यात्री व माल कर तथा वन प्राप्तियों पर पाए गए श्रेणी-वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष क्रमश: **चार्ट 2.1, 2.2, 2.3** व **2.4** में दर्शाए गए हैं:

चार्ट 2.1: बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/बहुउद्देशीय चुंगी

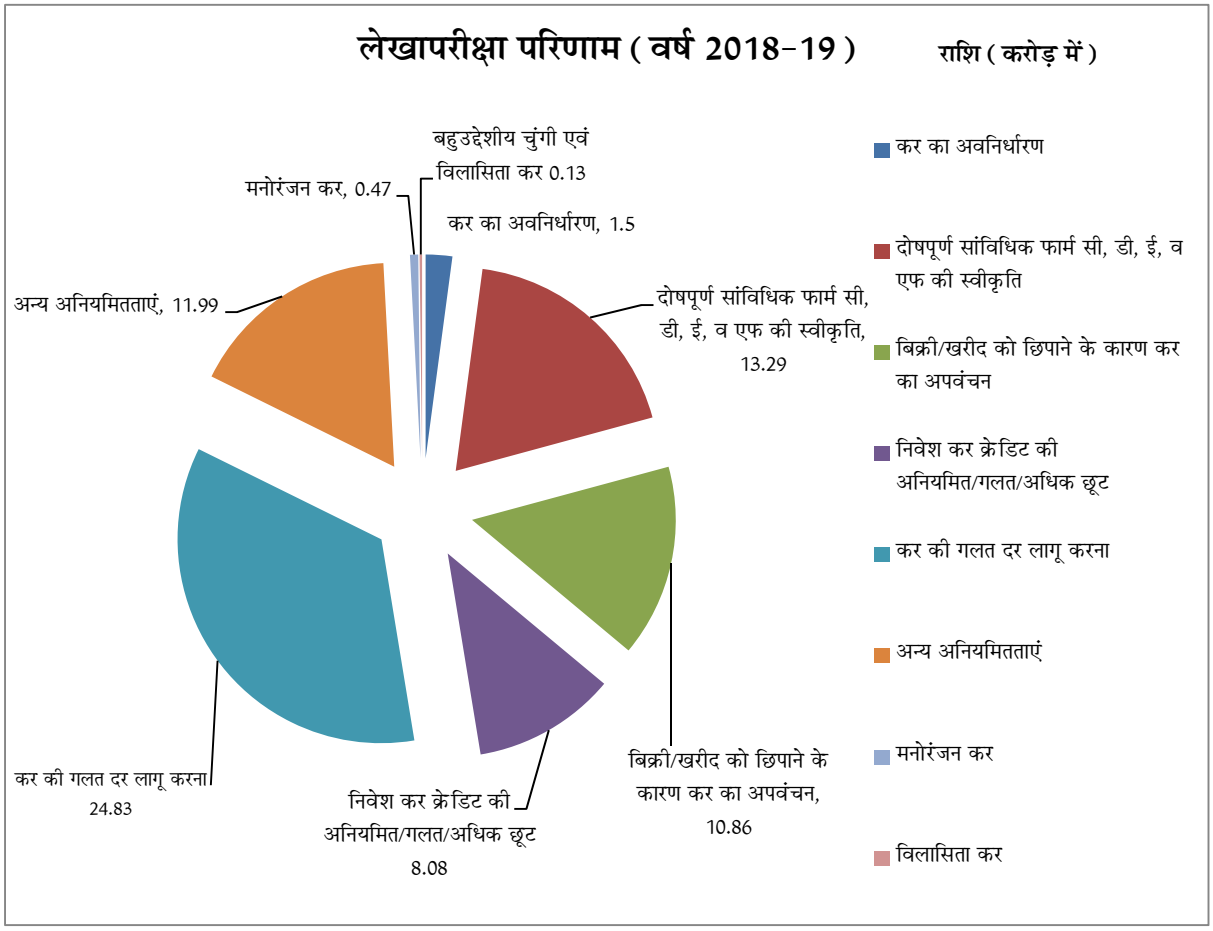

चार्ट 2.2: राज्य आबकारी

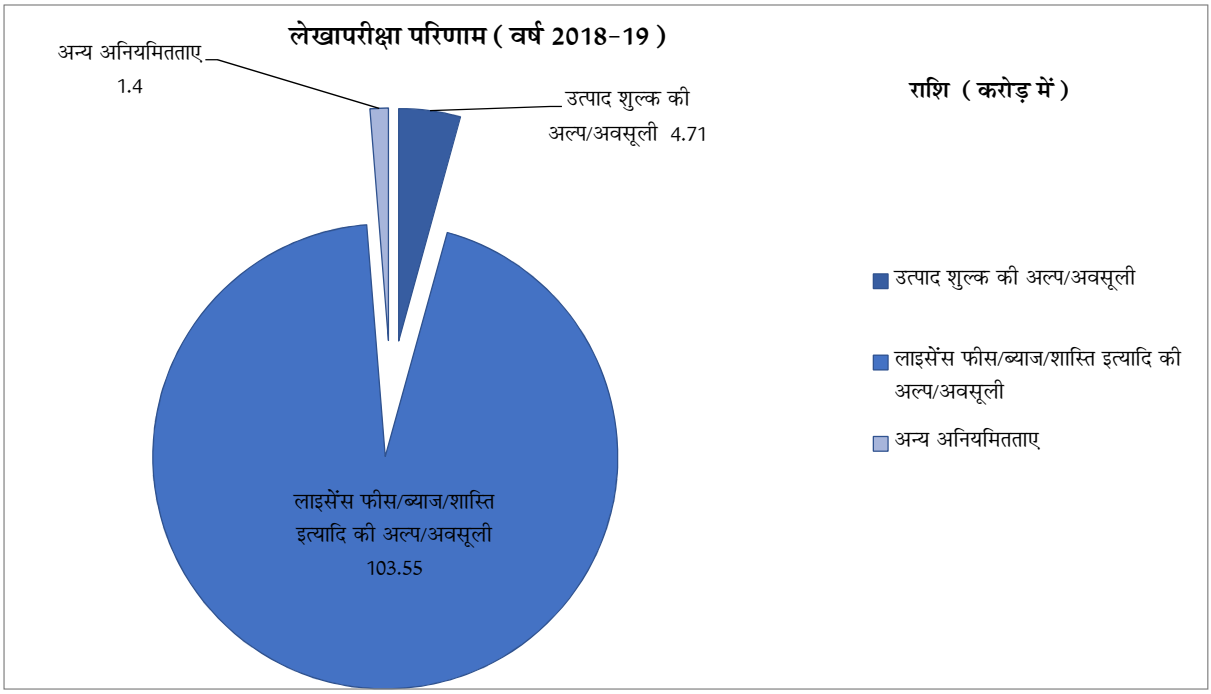

चार्ट 2.3: स्टाम्प शुल्क

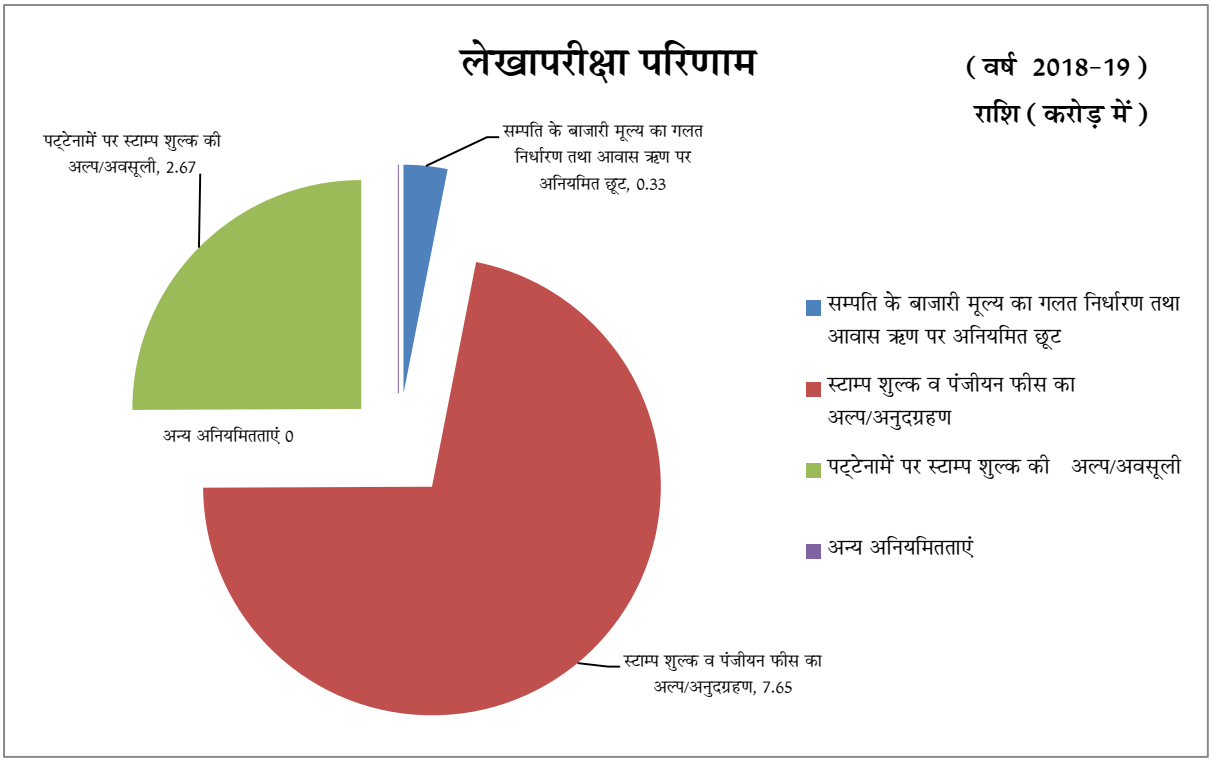

चार्ट 2.4: वाहन, यात्री एवं माल कर

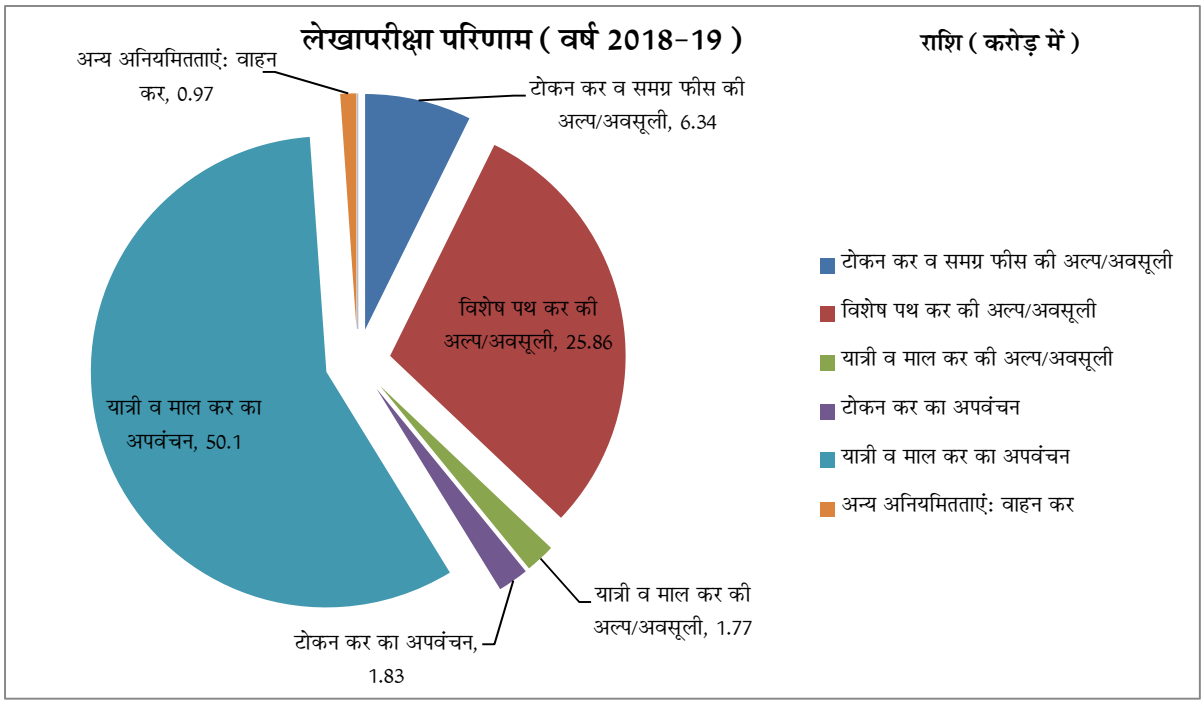

चार्ट 2.5: वन प्राप्तियां

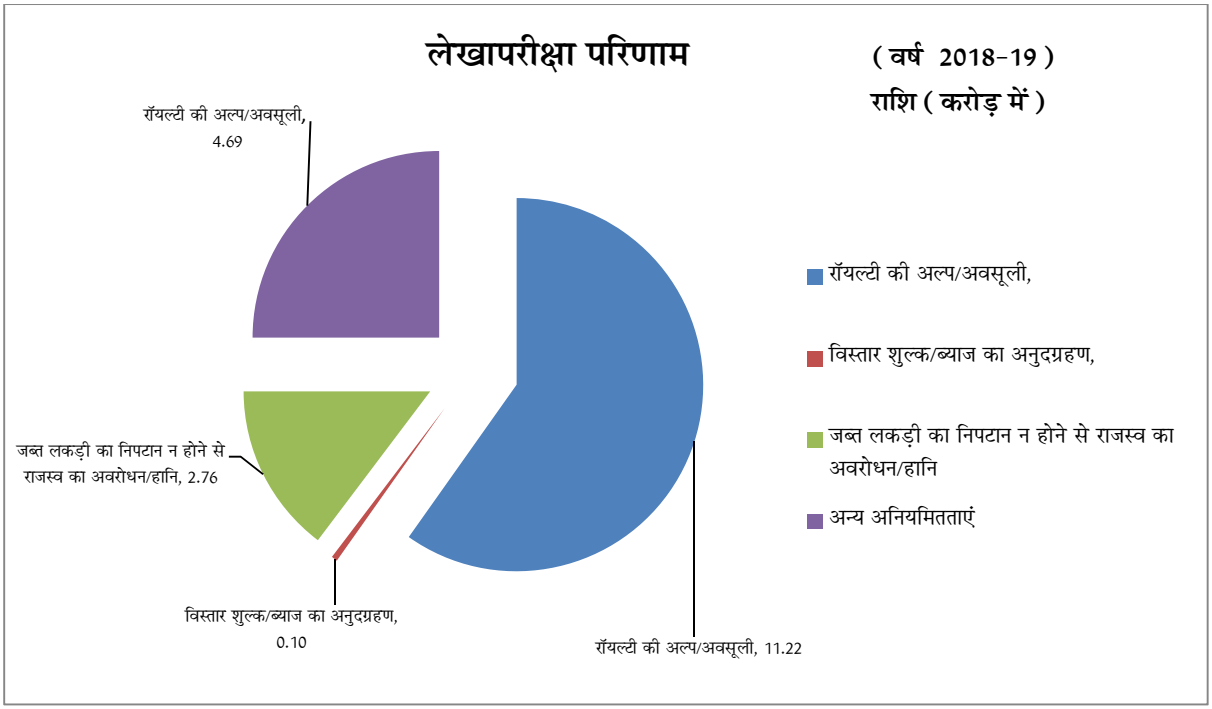

स्त्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

कुल राजस्व निहितार्थ समस्त ₹ 173.63 करोड़ से युक्त महत्वपूर्ण मामलों पर अनुवर्ती 23 परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

ख. लेखापरीक्षा परिणाम

आबकारी एवं कराधान विभाग

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर

2018-19 के दौरान मूल्य वर्धित कर/वस्तु एवं सेवा कर, विलासिता तथा बहुउद्देशीय चुंगी के तहत् ₹ 2,274.70 करोड़ की प्राप्ति से अंर्तग्रस्त 87 इकाईयों में से 40 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से कर का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताएं उजागर हुई तथा 316 मामलों में ₹ 71.15 करोड़ के कर के अल्प उदग्रहण को इंगित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 45 मामलों में ₹ 70.25 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा वसूली की। विभाग ने 2018-19 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 31 मामलों में ₹ 03.84 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को भी स्वीकार किया गया।

₹ 9.18 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से युक्त महत्वपूर्ण (9) मामलों पर अनुवर्ती परिच्छेदों 2.3 से 2.11 में चर्चा की गई है।

2.3 रियायती दर पर कर की अनुमति

विनिर्मित वस्तुओं की प्रकृति का सही तरीक से वर्गीकरण करने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के कारण रियायती दर की अनुचित अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹ 1.67 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2013 में जारी अधिसूचना के माध्यम से औद्योगिक इकाईयों द्वारा विनिर्मित निषेधात्मक सूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़ कर (औद्योगिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित उन मदों की सूची जो दो *प्रतिशत* केन्द्रीय बिक्री कर को आकर्षित करेंगी) शेष वस्तुओं के अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान हुई बिक्री के सम्बन्ध में एक *प्रतिशत* के बजाय कर की डेढ़ *प्रतिशत* की रियायती दर लगाई थी।

सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उक्त अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों का किसी भी समय किसी प्रकार का उल्लंघन करने के मामले में उसे भविष्य में कोई रियायत अनुमत नहीं की जाएगी तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार कर की दो *प्रतिशत* दर उद्ग्राह्य होगी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर की धारा 19 में यह प्रावधान है कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह एक महीने की अवधि के लिए एक *प्रतिशत* की दर से तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तब तक डेढ़ *प्रतिशत* प्रति माह की दर ब्याज का भुगतान करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के तीन कार्यालयों[10] में, निर्धारण प्राधिकारियों ने निषेधात्मक सूची में आने वाले क्राफ्ट व प्रिंटिग पेपरों एवं प्लास्टिक सामग्रियों के विनिर्माण में संलग्न 17 विक्रेताओं को 27 मामलों में कर की रियायती दरें अनुमत की। ये विक्रेता कर अवधि 2013-14 से 2016-17 हेतु ₹ 406.90 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की किसी भी प्रकार की रियायती दर का लाभ उठाने के हकदार नहीं थे। तथापि, निर्धारण प्राधिकारियों ने अप्रैल 2017 व मई 2018 के मध्य इन विक्रेताओं के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय विनिर्मित वस्तुओं की प्रकृति के उचित वर्गीकरण में असफल रहे और दो *प्रतिशत* की दर से ₹ 8.14 करोड़ राशि का कर उद्ग्रहित करने के बजाय कर की एक अथवा डेढ़ *प्रतिशत* रियायती दर अनुमत करते हुए ₹ 5.72 करोड़ का कर उदग्रहित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.42 करोड़[11] के कर का अल्प उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.67 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

---

10 बद्दी, नाहन, सोलन

11 बद्दी: ₹ 1.35 करोड़, नाहन: ₹ 23.32 लाख व सोलन: ₹ 83.94 लाख

विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि 15 मामलों में नौ विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए है। सात मामलों में विभाग ने कहा कि मदें निषेधात्मक सूची में नहीं आती हैं परन्तु उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि मदें उद्योग विभाग द्वारा जारी निषेधात्मक सूची के अंतर्गत शामिल थी। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार विभाग को निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय अधिनियम/नियमों तथा अधिसुचनाओं के प्रावधानों का पालन करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।

2.4 फार्म-आई पर कर की रियायती दर की अनुमति

निर्धारण प्राधिकारियों ने 19 इकाईयों को अनुचित रूप से अथवा फार्म-आई के बिना कर की रियायती दर अनुमत की जो ₹ 3.87 करोड़ के कर के अल्प उदग्रहण में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 4.03 करोड़ का ब्याज उदग्रहित किया जाना भी अपेक्षित था।

नव औद्योगिक इकाईयों जो प्रभावी रूप से उत्पादन करते हुए प्रथम अप्रैल, 2013 से या उसके बाद परिचालन में आई हो अथवा वे मौजूदा औद्योगिक इकाईयां, जिन्होंने या तो 5 वर्षों की अवधि में या वस्तु एवं सेवा कर लागू होने तक, जो भी पहले हुआ हो, स्थापित क्षमता व श्रमशक्ति दोनों में पर्याप्त विस्तार (25 *प्रतिशत*) किया हो, उनके अतिरिक्त अन्य पर आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2013 की अधिसूचना के माध्यम से कर की रियायती दर को एक *प्रतिशत* से बढ़ा कर डेढ़ *प्रतिशत* कर दिया था।

कर की रियायती दर का लाभ उठाने की शर्तों में से एक यह है कि इकाई को हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग से *फार्म-आई* में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा जिनमें यह प्रमाणित हो कि इकाई श्रेणी 'सी' क्षेत्र में स्थित है, इसकी कुल श्रम शक्ति के न्यूनतम 70 *प्रतिशत* कर्मी मूल हिमाचली हैं तथा यह प्रमाण-पत्र निर्धारिण प्राधिकारी को भी प्रस्तुत किया है।

सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों द्वारा इस शर्त का किसी भी समय किसी प्रकार का उल्लंघन करने की स्थिति में उसे भविष्य में कोई रियायत अनुमत नहीं की जाएगी तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार कर की दो *प्रतिशत* दर उदग्राहय होगी। इन अधिनियमों/नियमों में निर्धारण प्राधिकारी को अपने विवेकाधिकार से कर की रियायती दर अनुमत करने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि विक्रेता निर्धारित देय तिथि तक कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक माह की अवधि हेतु देय कर पर एक *प्रतिशत* की दर से तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तक तक डेढ़ *प्रतिशत* प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[12] ने उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के तहत् आए मामलों को लक्षित नहीं किया, जैसा कि नीचे वर्णित है:

I. अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2009-10 से 2017-18 हेतु 11 इकाईयों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 के मध्य) निर्धारण प्राधिकारियों ने वे *फार्म-आई* स्वीकार किए जो इस निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित नहीं थे। इसी वर्ष से सम्बन्धित *फार्म-आई* के अभाव में, 70 *प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने* की शर्त को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 421.95 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की एक तथा डेढ़ *प्रतिशत* की रियायती दर लगाई। निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा स्वविवेकाधिकार से इकाइयों को कर की दो *प्रतिशत* की प्रयोज्य दर के बजाय कर की रियायती दर अनुमत करना, अधिसूचना के प्रावधान के विरूद्ध था जो ₹ 3.38 करोड़ के कर के अवनिर्धारण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.39 करोड़ राशि का ब्याज भी उदग्राहण योग्य था।

II. इसी भांति, लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2009-10 से 2016-17 हेतु ₹ 50.49 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री करने वाली 8 इकाईयों के निर्धारण को अंतिम रूप दिया (जुलाई 2017 से फरवरी 2018 के मध्य)। निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय दो *प्रतिशत* की दर से ₹ 1.01 करोड़ राशि के उद्ग्रहण योग्य कर

[12] बद्दी और सोलन

के बजाय कर की एक व डेढ़ *प्रतिशत* दर लागू की तथा ₹ 52.09 लाख का कर उदग्रहित किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अभिलेखों में यह प्रमाणित करने के लिए कुछ नहीं था कि इकाईयों ने *'फार्म-आई'* जमा किया है अथवा इन्होंने 1 अप्रैल, 2013 तक या उसके बाद पर्याप्त विस्तार किया है तथा इस प्रकार ये इकाईयां कर की रियायती दर का लाभ उठाने की हकदार नहीं थी। अतएव, निर्धारण प्राधिकारियों ने उक्त अधिसूचनाओं के प्रावधानों की जांच-पड़ताल किए बिना कर की गलत दर लागू की जो ₹ 48.89 लाख तक के कर के अवनिर्धारण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 63.98 लाख राशि का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारणों का निपटान अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.87 करोड़ के कर तथा ₹ 4.03 करोड़ के ब्याज का अल्प उदग्रहण हुआ।

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि चार मामलों में विक्रेताओं को पुनर्निर्धारण हेतु नोटिस जारी किए गए थे तथा 15 मामलों में इकाईयों को प्रति वर्ष *फार्म-आई* प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा का आशय चालू वर्ष हेतु *फार्म-आई* को प्रस्तुत न करने से है और विभाग ने मामलों के पुनर्निर्धारण की कार्रवाई नहीं की और तो और तत्कालीन वर्ष हेतु उचित *फार्म-आई* के अभाव में न्यूनतम 70 *प्रतिशत* हिमाचलियों को रोजगार देने की शर्त भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार विभाग को यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें कि विक्रेता रियायती दरों का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य *फार्म-आई* को निश्चित रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अधिसूचना की अधिदेशित शर्तों को पूरा कर रहे हैं। किसी भी समय इस निगम के उल्लंघन के मामले में सम्बन्धित औद्योगिक इकाई को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं की जाएगी।

2.5 सांविधिक फर्मों के बिना रियायत प्रदान करना

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य एवं दोषपूर्ण सांविधिक फार्म स्वीकार करने तथा अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.43 करोड़ के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.79 करोड़ का ब्याज उदग्रहित करना भी अपेक्षित था।

व्यापार अथवा व्यवसाय की अंतर्राज्यीय बिक्री के क्रम में कर की आंशिक अथवा पूर्ण छूट का प्रयास करने की स्थिति में विक्रेताओं के निर्धारण को अंतिम रूप देने के पूर्व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कर में छूट का दावा करने हेतु सांविधिक *फार्म 'सी'* व *'एफ'* पूर्वापेक्षित है। *फार्म-सी* क्रेता द्वारा विक्रेता को अंतर्राज्यीय व्यापार या व्यवसाय के दौरान रियायत के दावे हेतु प्रदान किया जाता है। ये फार्म तीन भागों अर्थात मूल, प्रतिलिपि तथा प्रतिवर्ण में जारी किए जाते हैं। न्यायिक आदेशानुसार[13] कर की रियायती दर का दावा करने हेतु मूल फार्मों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिनमें जारी करने की तिथि, लेन-देन का ब्यौंरा, क्रेता व विक्रेता का नाम, फार्म का मूल्य तथा इन फार्मों से संबद्ध अवधि का पूर्ण विवरण हो।

2.5.1 फार्म -'सी'

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में निर्धारित है कि अंतर्राज्यीय व्यापार या व्यवसाय के दौरान कर की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए विक्रेता को क्रेता से *फार्म-'सी'* प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा अन्यथा पूर्ण दरों पर कर का भुगतान करना होगा।

[13] बिक्री कर आयुक्त विरूद्ध मेसर्स प्रभु दयाल प्रेम नारायण (1988) 71 एसटीसी (एससी) एवं दिल्ली ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड विरूद्ध बिक्री कर आयुक्त (1997) 104 एसटीसी 75 (एससी)

11 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[14] में निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 143.52 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री करने वाले 6 विक्रेताओं के निर्धारणों को जून 2017 व सितम्बर 2017 के मध्य अंतिम रूप दिया (वर्ष 2009-10 से 2013-14 हेतु) जिनमें से ₹ 12.23 करोड़ मूल्य की बिक्री मान्य *फार्म-'सी'* से समर्थित नहीं थी। ये अमान्य फार्म या तो निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित नहीं थे अथवा महत्वपूर्ण जानकारी एवं प्रविष्टियों पर कांट-छांट या उपरिलेखन किया गया था अथवा मूल फार्म के स्थान पर प्रतिलिपि/प्रतिपर्ण प्रस्तुत किए गए थे ***(परिशिष्ट-2.1)***। इन फार्मों को निर्धारण के समय अस्वीकृत किया जाना चाहिए था परन्तु निर्धारण प्राधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। निर्धारण प्राधिकारियों ने अमान्य *फार्म-'सी'* जिसमें ₹ 12.23 करोड़ शामिल थे पर एक व दो *प्रतिशत* की रियायती दर में ₹ 23.07 लाख का कर उदग्रहित किया गया जबकि पांच, 12.50 व 13.75 *प्रतिशत* की दर से ₹ 74.39 लाख का कर उदग्रहित किया जाना था। यह ₹ 51.32 लाख के कर के अल्प उदग्रह्ण में परिणत हुआ। ₹ 53.94 लाख का ब्याज उदग्रहित किया जाना भी अपेक्षित था।

2.5.2 फार्म -'एफ'

केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 में प्रावधान हैं, कि शाखा हस्तांतरण/खेप की बिक्री की स्थिति में पंजीकृत विक्रेता को कर में छूट दी जाएगी यदि वह घोषणा *फार्म-'एफ'* द्वारा समर्थित हो। आगे, एक *फार्म 'एफ'* केवल एक केलण्डर मास के लेन-देन को शामिल करने के लिए होता है। इसके अतिरिक्त, चुकाए न गए कर पर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दर पर ब्याज भी उदग्रहण योग्य है।

11 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन में निर्धारण प्राधिकारी ने कर अवधि 2009-10 से 2014-15 हेतु दो विक्रेताओं के निर्धारणों को अक्टूबर 2017 व मार्च 2018 के मध्य अंतिम रूप देते समय ₹ 6.75 करोड़ राशि के स्टॉक के स्थानांतरण पर घोषणा *फार्म 'एफ'* के विरूद्ध ₹ 84.40 लाख के कर की छूट अनुमत की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण के समय *'फार्म-एफ'* को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि इनमें एक से अधिक केलेण्डर मास के लेन-देनों को शामिल किया गया था अथवा इनकी मूल प्रति नहीं थी। तथापि, सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारियों ने इन फर्मों की समूचित छानबीन नहीं की तथा रियायत अनुमत की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 84.40 लाख के कर का अल्प उदग्रहण हुआ। ₹ 1.20 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहित किया जाना अपेक्षित था ***(परिशिष्ट-2.2)*** ।

2.5.3 फार्म-'एच'

केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन व टर्न ओवर) नियमावली 1957 के नियम 12 (10) के अनुसार, भारतीय भूखण्ड के बाहर वस्तुओं का निर्यात करने पर यदि विक्रेता उन वस्तुओं के निर्यात के प्रमाण के साथ विधिवत् रूप से भरा एवं निर्यातक द्वारा हस्ताक्षरित *फार्म-'एच'* जमा करता है, तो उसे कर का भुगतान नहीं करना होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान सोलन के अभिलेखा की संवीक्षा से उजागर हुआ कि कर अवधि 2013-14 से 2015-16 हेतु दो विक्रताओं के निर्धारणों को मार्च 2017 व दिसम्बर 2017 के मध्य अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने घोषणा *फार्म-'एच'* के बिना ₹ 57.78 लाख राशि के स्टॉक के निर्यात पर ₹ 7.94 लाख के कर में छूट अनुमत की। यह ₹ 7.94 लाख के कर के अनुदग्रहण में परिणत हुआ जिस पर ₹ 4.91 लाख का ब्याज उद्ग्रहित करना भी अपेक्षित था।

अधिनियम/नियम में निर्धारण प्राधिकारियों को दोषपूर्ण फार्म स्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, अमान्य तथा दोषपूर्ण सांविधिक फार्मों को अस्वीकार न करना ₹ 1.43 करोड़ के कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति में परिणत हुआ।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि 6 मामलों में ₹ 0.12[15] लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा वसूल की गई थी जबकि विक्रेताओं के शेष मामले (चार) पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में थे। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

---

[14] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी (तीन विक्रेता: ₹ 47.98 लाख), सोलन (दो विक्रेता: ₹ 2.08 लाख) एवं ऊना (एक विक्रेता ₹ 1.26 लाख)

[15] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन: छः विक्रेता: ₹ 0.12 लाख

सरकार विभाग को यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें कि निर्धारण प्राधिकारी विक्रेताओं के निर्धारणों को अंतिम रूप देने एवं कर की रियायती दर अनुमत करने के पूर्व यह सत्यापित करें कि विक्रेता सम्बन्धित अनिवार्य फार्मों को निश्चित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अधिसूचना में अधिदेशित शर्तों को पूरा कर रहे हैं।

2.6 टर्न ओवर का गलत निर्धारण

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रेताओं के सकल टर्न ओवर को उनके प्रमाणित लेखाओं में दर्शाए गए वास्तविक टर्नओवर से कम निर्धारित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 58.43 लाख के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 64.17 लाख का ब्याज उद्ग्रहित करना भी अपेक्षित था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 2(V)(Zd) के अनुसार टर्न ओवर से तात्पर्य विक्रेता द्वारा की गई बिक्री, खरीद अथवा बिक्री एवं खरीद के किसी भाग तथा वस्तुओं वितरण के पूर्व या वितरण के समय विक्रेता द्वारा लगाया गया भाड़ा, भण्डारण, विलम्ब शुल्क, बीमा जो भी किया गया हो के कुल प्रभार को जोड़ कर बनी सकल राशि से है। इसके अतिरिक्त, धारा 32(1) में प्रावधान है कि आयुक्त या आबकारी एवं कराधान अधिकारी आवश्यकतानुसार किसी बही, दस्तावेज अथवा लेखे का निरीक्षण, जांच कर सकता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 11 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की एवं यह पाया गया कि कर अवधि 2011-12 से 2015-16 हेतु 9 मामलों में 9 विक्रेताओं/ठेकेदारों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2017 व फरवरी 2018 के मध्य) चार निर्धारण प्राधिकारियों[16] ने विक्रेताओं/ठेकेदारों के प्रमाणित लेखाओं में अथवा उनके फार्म STXI-B में दर्शाए गए ₹ 253.41 करोड़ के वास्तविक निर्धार्य सकल टर्नओवर के प्रति ₹ 244.26 करोड़ का सकल टर्नओवर निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त, निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के दौरान प्रयोज्य कर दरों पर देय कर, शास्ति व ब्याज की गणना हेतु सकल टर्न ओवर को सत्यापित करने के लिए ना तो बहियों, दस्तावेजों/लेखाओं की जांच की ना ही विक्रताओं/ठेकदारों के प्रमाणित लेखाओं या फार्म STXI-B के साथ विवरणियों की प्रति-जांच की। यह राज्य के राजस्व की कीमत पर विक्रेताओं/ठेकेदारों को मिले अनुचित लाभ की ओर ले गया। इसके विक्रेताओं/ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला तथा राज्य के राजस्व की हानि हुई। इस प्रकार, ₹ 9.15 करोड़ के सकल टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर के अल्प निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 58.43 लाख[17] के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 64.17 लाख का ब्याज उद्ग्रहित करना भी अपेक्षित था।

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि पांच मामलों के पुनर्निधारण हेतु नोटिस जारी किए गए थे जबकि शेष मामलों में विभाग द्वारा पुनर्निर्धारण किया गया था। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए है।

सरकार विक्रेताओं के टर्नओवर की निगरानी हेतु एक तंत्र तथा उनके प्रमाणित लेखाओं के साथ वार्षिक रिटर्नों (विवरणियों) को सम्बन्धित करने हेतु एक व्यवस्था स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

[16] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी: दो विक्रेता, नाहन में सिरमौर: तीन विक्रेता, शिमला: एक विक्रेता तथा सोलन: तीन विक्रेता

[17] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: 24.38 सिरमौर नाहन में ₹ 24.05 लाख, शिमला ₹ 4.84 लाख और सोलन ₹ 5.16 लाख

2.7 ब्याज का अल्प-उदग्रहण

निर्धारण प्राधिकारियों ने अतिरिक्त उत्पन्न मांग पर ₹ 32.18 लाख के उदग्रहण योग्य ब्याज के स्थान पर ₹ 1.16 लाख का ब्याज उदग्रहित किया जो ₹ 31.02 लाख के ब्याज के अल्प उदग्रहण में परिणत हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार यदि कोई विक्रेता निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल होता है तो वह एक माह की अवधि हेतु एक *प्रतिशत* की दर से, तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तब तक डेढ़ *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

तीन आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[18]के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कर अवधि 2007-08 से 2015-16 हेतु 15 मामलों में 11 विक्रेताओं के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2017 व जनवरी के मध्य 2018) निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 32.93 लाख की अतिरिक्त कर मांग निर्मित की तथा निर्धारण की तिथि तक अतिरिक्त उत्पन्न मांग पर ₹ 32.18 लाख के उदग्रहण योग्य ब्याज के प्रति ₹ 1.16 लाख का ब्याज उदग्रहित किया। अधिनियम में निर्धारण प्राधिकारियों को कोई विवेकाधिकार न दिए जाने के तथ्य के बावजूद निर्धारण आदेशों में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ब्याज के अल्प उदग्रहण का कोई कारण दर्ज नहीं था। लेखापरीक्षा विगत 5 वर्षों से अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी प्रकार की चूकों को इंगित करता रहा है परन्तु सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए निर्धारणों की समीक्षा नहीं की। विभाग ने विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई गलत गणना के कारण इसके राजस्व में हुई हानि की सुरक्षा हेतु अपने तंत्र के सशक्तिकरण के लिए न तो कोई कार्रवाई की न ही निर्धारणों की नियमित समीक्षा संचालित की जो यह चिन्हित करें कि विभाग के पास करदाताओं द्वारा चुकाए गए कर एवं देय कर के निर्धारण हेतु प्रभावी तंत्र नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.02 लाख[19] के ब्याज का अल्प उदग्रहण हुआ।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी ने 6 मामलों में चार विक्रेताओं को नोटिस जारी किए थे जो प्रक्रियाधीन हैं जबकि 9 मामलों में विक्रेताओं का पुनर्निर्धारण किया गया था एवं ₹ 1.80 लाख की अतिरिक्त मांग निर्मित की गई थी तथा ₹ 1.40 लाख की वसूली की गई थी। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार विभाग को किसी भी निर्धारण को अंतिम रूप देने के पूर्व अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने एवं उचित रूप से जांच करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।

2.8 प्रवेश कर का अल्प-उदग्रहण

निर्धारण प्राधिकारियों ने 2013-16, की अवधि के दौरान न तो अंतर्राज्यीय खरीद-फरोख्त को सत्यापित किया न ही प्रवेश कर के उदग्रहण हेतु सरकार की अधिसूचनाओं का संज्ञान लिया, जो ₹ 24.14 लाख के प्रवेश कर तथा ₹ 17.92 लाख के ब्याज के अल्प उदग्रहण में परिणत हुई।

अनूसूची-2 के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर अधिनियम, 2010 में प्रावधान है कि राज्य में निजी साथ ही सरकारी विभागों/निगमों/बोर्डों इत्यादि द्वारा निष्पादित जल विद्युत एवं ताप विद्युत परियोजनाओं तथा अन्य सभी प्रवर्तनशील परियोजनाओं सहित निर्माण-कार्यों के अनुबंध में प्रयोग किए जाने वाली वस्तुएं (माल) वस्तुओं के मूल्य के पांच *प्रतिशत* की दर से प्रवेश कर को आकर्षित करेंगी। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग की दिनांक 25 फरवरी 2014 को जारी अधिसूचनानुसार राज्य के भीतर प्रशासित होने पर, *1 मार्च 2014* से सभी औद्योगिक उत्पादन सामग्री (इनपुट), कच्चे माल

[18] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी, मण्डी और सोलन

[19] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी: ₹ 26.44 लाख, मण्डी: ₹ 1.80 लाख एवं सोलन: ₹ 2.78 लाख

एवं पैंकिंग सामग्री पर प्रवेश कर दो *प्रतिशत* की दर से (पूर्व के एक *प्रतिशत* के स्थान पर) देय होगा। यह उन विक्रेताओं पर लागू है जो राज्य के बाहर पंजीकृत है तथा हिमाचल प्रदेश में वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, उक्त हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि विक्रेता निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल होता है तो वह एक माह की अवधि हेतु देय कर पर एक *प्रतिशत* की दर से तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तब तक डेढ़ *प्रतिशत* प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 11 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना-जांच की तथा यह पाया गया कि कर अवधि 2013-14 हेतु एक विक्रेता के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी के एक मामले में विक्रेता ने ₹ 131.80 करोड़ मूल्य का कच्चा माल क्रय किया था जिसमें से ₹ 13.13 करोड़ मूल्य का माल 2014 के मार्च माह के दौरान राज्य में लाया गया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने दिनांक 25 फरवरी 2014 की अधिसूचना का संज्ञान नहीं लिया तथा प्रवेश कर पर दो *प्रतिशत* की प्रयोज्य दर के बजाय एक *प्रतिशत* की दर से ₹ 1.28 करोड़ राशि का गलत प्रवेश कर उद्ग्रहित किया। जो ₹ 11.39 लाख राशि के कर के अल्प उद्ग्रहण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 10.03 लाख का ब्याज उदग्रहित करना भी अपेक्षित था।

इसी भांति, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला[20] में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 हेतु (11.01.2018 को अंतिम रूप दिया गया) आयातित माल के विक्रेता-वार विवरण (मूल्य वर्धित कर XXVI-A से) एवं विक्रेता के निर्धारण आदेश की संवीक्षा में यह पाया गया कि विक्रेता ने दो वर्षों में ₹ 3.91[21] करोड़ मूल्य का माल आयात किया जबकि निर्धारण प्राधिकारी ने आयातित माल का मूल्य मात्र ₹ 1.36[22] करोड़ निर्धारित किया। इस प्रकार, निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 2.55 करोड़ मूल्य के आयातित माल पर 5 *प्रतिशत* कर दर से ₹ 12.75 लाख राशि के बराबर प्रवेश कर उद्ग्रहित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.75 लाख के बराबर राशि के कर का अल्प उद्ग्रहण होने के अतिरिक्त ₹ 7.89 लाख का ब्याज उदग्रहित करना भी अपेक्षित था।

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के दौरान कर की प्रयोज्य दरों पर देय कर, शास्ति व ब्याज की गणना हेतु फाईल की गई रिटर्न (विवरणियों) की छानबीन शुरू नहीं की थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के दौरान प्रवेश कर की गणना हेतु अंतर्राज्यीय खरीद को सत्यापित नहीं किया था जो ₹ 24.14 लाख[23] के कर एवं ₹ 17.92 लाख के ब्याज के अल्प उदग्रहण में परिणत हुआ।

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि एक मामले (शिमला) में ₹ 5,000 की अतिरिक्त मांग निर्मित की गई थी एवं वसूली की गई थी जबकि दूसरे मामले (बद्दी) में विभाग ने विक्रेता के विरूद्ध वर्ष 2011-12 से 2013-14 हेतु प्रवेश कर देयता का भुगतान न करने के लिए कार्रवाई शुरू की थी तथा ₹ 50.40 लाख की वसूली की। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।

सरकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने एवं किसी निर्धारण को अंतिम रूप देने के पूर्व समुचित नियंत्रण हेतु विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। सरकार विक्रेताओं के वार्षिक लेखाओं के साथ उनके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न (विवरणियों) को प्रति-सत्यापित भी करें।

---

20 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: शिमला: (एक विक्रेता: ₹ 20.64 लाख)

21 2014-15: ₹ 2.70 करोड़; 2015-16: ₹ 1.2 करोड़

22 (₹ 3.91 करोड़ - ₹1.36 करोड़ = ₹ 2.55 करोड़) के स्पष्टीकरण/कर के उदग्रहण के सम्बन्ध में अभिलेखों में कुछ नहीं था।

23 ₹ 11.39 लाख + ₹ 12.75 लाख

2.9 बिक्री एवं स्टॉक को छिपाना

15 मामलों में 12 विक्रेताओं ने ₹ 1.51 करोड़ की बिक्री एवं शेष माल को छिपाया जो निर्धारण से बच गया, परिणामत: ₹ 12.96 लाख के कर की चोरी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 9.58 लाख का ब्याज व न्यूनतम ₹ 3.24 लाख की शास्ति उद्ग्रहित करना भी अपेक्षित था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16(8) में प्रावधान है कि यदि कोई विक्रेता अपने माल की बिक्री, खरीद या स्टॉक को छिपाने की दृष्टि से गलत लेखे बनाता है अथवा अपनी किसी बिक्री या खरीद के किसी विवरण को छिपाता है अथवा अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी को गलत लेखा प्रस्तुत करता है तो उसे शास्ति का भुगतान करना होगा जो देय कर के 25 *प्रतिशत* से कम नहीं होगी। धारा 32(1) में प्रावधान है कि आयुक्त या आबकारी एवं कराधान अधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी बही, दस्तावेज अथवा लेखे का निरीक्षण, जांच कर सकता है। आगे, उक्त अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि विक्रेता निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल होता है तो उसे एक माह की अवधि हेतु देय का पर एक *प्रतिशत* तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तब तक डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा ने तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[24] के अभिलेखों की नमूना-जांच की तथा यह पाया गया कि कर अवधि 2010-11 से 2015-16 के दौरान 12 मामलों में ₹ 537.48 करोड़ का सकल टर्नओवर करने वाले 10 विक्रेताओं ने वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में ₹ 1.47 करोड़ की बिक्री का खुलासा नहीं किया जिन्हें अन्य प्रकार से सम्पत्तियों (वाहन, संयंत्र अथवा मशीन) की बिक्री के रूप में उनके व्यापार, लाभ व हानि लेखाओं में दर्शाया गया। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त चम्बा के अन्य मामलों में लेखापरीक्षा संवीक्षा में उजागर हुआ कि कर अवधि 2011-12 व 2014-15 के मध्य तीन मामलों में ₹ 2.12 करोड़ के टर्नओवर वाले दो विक्रताओं ने ₹ 16.15 लाख का आरम्भिक स्टॉक प्रदर्शित किया जबकि उनके गत वर्ष के प्रमाणित लेखाओं में ₹ 20.35 लाख का अंत स्टॉक दर्शाया गया था। इस प्रकार, कर अवधि के दौरान आरम्भिक व अंत स्टॉक में ₹ 4.20 लाख का अन्तर था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के दौरान कर एवं ब्याज की गणना हेतु विक्रेताओं की बहियों, दस्तावेजों/लेखों की जांच नहीं की साथ ही सकल टर्नओवर को सत्यापित करने के लिए उनके प्रमाणित लेखाओं से विवरणियों रिटर्नों की प्रति-जांच भी नहीं की। निर्धारण प्राधिकारियों ने सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रमाणित प्राप्तियों की तुलना करते समय सकल प्राप्तियों का संज्ञान नहीं लिया तथा निर्धारण प्राधिकारियों/सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विगत पांच वर्षों से बारम्बार इंगित करने के बावजूद नियमों की एक समान प्रयोज्यता हेतु कमियों की जांच/समीक्षा नहीं की। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि विभाग के पास अभिलेख उपलब्ध होने के बावजूद निर्धारण प्राधिकारियों ने सकल टर्नओवर की गणना नहीं की जो अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में उनकी उपेक्षा अथवा अकर्मण्यता का परिचायक है। इस प्रकार, वार्षिक लेखाओं के साथ वार्षिक रिटर्न को प्रति-जांच करने की जिम्मेदारी निभाने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के कारण विक्रेता ₹ 1.51 करोड़ के सकल टर्नओवर/कर योग्य टर्नओवर (₹ 1.47 करोड़ + ₹ 4.20 लाख) को छिपा सके जो निर्धारण से बच गया, परिणामस्वरूप ₹ 12.96[25] लाख के कर की चोरी हुई तथा विक्रेताओं को राज्य के राजस्व की कीमत पर अनुचित लाभ मिला। ₹ 9.58 लाख का ब्याज एवं न्यूनतम ₹ 3.24 लाख की शास्ति उदग्रहित करना भी अपेक्षित था।

[24] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चम्बा, सिरमौर(नाहन)और सोलन

[25] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त,चम्बा: दो विक्रेता ₹ 0.21 लाख, सिरमौर(नाहन):आठ विक्रेता: ₹ 12.46 लाख और सोलन:दो विक्रेता: ₹ 0.29 लाख

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[26] ने तीन विक्रेताओं के प्रति ₹ 0.39 लाख की मांग निर्मित की थी जबकि शेष मामलों में पुनर्निर्धारण हेतु नोटिस जारी किए गए जो प्रक्रियाधीन थे। सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।

सरकार विक्रेताओं का निर्धारण करते समय मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने हेतु प्रणाली निर्मित करें तथा राज्य में ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करें।

2.10 ठेकेदार का निर्धारण

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रेता के वार्षिक रिटर्न की संवीक्षा नहीं की जिसके कारण ₹ 11.11 लाख तक के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹ 15.78 लाख का ब्याज उदग्रहित करना भी अपेक्षित था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 18 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत विक्रेता हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम में संलग्न अनुसूची (5) में निर्दिष्ट कर की दर के आधार पर उसके बिक्री के कर योग्य टर्नओवर का वर्गीकरण करेगा। नियम 44 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 60 में प्रावधान है कि निर्धारण प्राधिकारी किसी कर अवधि के दौरान अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए फाइल किए गए रिटर्नों की छानबीन, उस रिटर्न के अनुसार कर की दर, गणना, कर के भुगतान, चुकाने योग्य व देय शास्ति व ब्याज की प्रयोज्यता की शुद्धता की जांच करने हेतु कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, उक्त हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि विक्रेता निर्धारित तिथि तक देय कर के भुगतान में विफल होता है तो उसे एक माह की अवधि हेतु देय कर पर एक *प्रतिशत* की दर से तथा उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे तब तक देढ़ *प्रतिशत* प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी में, ₹ 7.93 करोड़[27] के सकल टर्नओवर वाले एक विक्रेता ने कर अवधि 2010-11 हेतु दो पृथक वार्षिक रिटर्न[28] फाइल किए। लेखापरीक्षा ने विक्रेता द्वारा जमा किए गए रिटर्न एवं निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बनाए गए निर्धारण आदेशों की प्रति-जांच की तथा निम्नलिखित पाया:

तालिका 2.2: निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बनाए गए निर्धारण एवं विक्रेता द्वारा फाइल किए गए रिटर्नों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(₹ राशि में)

विवरण	**निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बनाए गए निर्धारण**	**फाईल किए गए वार्षिक रिटर्न के अनुसार सकल टर्न ओवर/कर योग्य टर्न ओवर**		**लेखापरीक्षा टिप्पणियां**
		व्यापार	**कार्य-संविदा**	
सकल टर्न ओवर	**7,92,86,325**	**5,80,91,930**	**2,11,94,395**	--
अंतर्राज्यीय बिक्री (-)	18,62,783	0	0	निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 18.63 लाख की अंतर्राज्यीय बिक्री अनुमत की तथा इसे निर्यात बिक्री के रूप में छूट दी जबकि विक्रेता ने किसी अंतर्राज्यीय अथवा निर्यात बिक्री का दावा नहीं किया था।
मजदूरी प्रभार (-)	198,21,581	--	43,69,535	विक्रेता ने ₹ 2.11 करोड़ (कार्य संविदा), के सकल टर्न ओवर पर ₹ 0.44 करोड़ का दावा मजदूरी प्रभार के रूप में किया जो कि कर मुक्त था जबकि निर्धारण प्राधिकारी ने मजदूरी प्रभार व मजदूरी प्रभार पर लाभ के रूप में ₹ 2.18 करोड़ (₹ 1.98 करोड़ + ₹ 0.20 करोड़) अनुमत किए। यह मजदूरी प्रभार व मजदूरी प्रभार पर लाभ में ₹ 1.74[29] करोड़ की अधिक अनुमति में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, मजदूरी प्रभार व लाभ की अनुमति से कार्य संविदा के
मजदूरी पर लाभ (-)	19,82,158	--	--	

[26] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त,चम्बा: ₹ 0.16 लाख और सिरमौर(नाहन): ₹ 0.23 लाख

[27] व्यापार एवं निर्माण कार्य अनुबंध

[28] सकल टर्न ओवर: 7.93 करोड़ (व्यापार के वार्षिक रिटर्न के अनुसार खाता ₹ 5.81 करोड़+ निर्माण कार्य का वार्षिक रिटर्न ₹ 2.12 करोड़)

[29] मजदूरी प्रभार की अधिक अनुमति एवं मजदूरी प्रभाव पर लाभ (₹ 1.98 करोड़ + ₹ 0.20 करोड़ - ₹ 0.44 करोड़ = ₹ 1.74 करोड़)

				सकल टर्न ओवर में ₹ 7.00 लाख तक बढौतरी हुई जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनदेखा किया गया।
वर्तमान स्टॉक (-)	48,34,896	--	--	₹ 7.93 करोड़ के कुल सकल टर्न ओवर में से निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 48.35 लाख के अंत स्टाक में कटौती की जो अधिनियम के प्रावधान के विरूद्ध है। इसके परिणामस्वरूप गलत कटौती एवं कर योग्य टर्न ओवर का कम निर्धारण हुआ।
कर योग्य टर्न ओवर @ 5% **कर @ 5%**	4,58,80,070 22,94,003	5,80,91,930 29,04,596	41,48,056 2,07,402	निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रेता का निर्धारण करते समय निर्धारण आदेश में उल्लेखित किया कि विक्रेता ने कर अवधि के दौरान 5 *प्रतिशत* की दर से ₹ 6.22 करोड़ (₹ 5.81 करोड़ का व्यापार व ₹ 41.48 लाख की कार्य संविदा) की बिक्री की। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 4.59 करोड़ का कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया एवं ₹ 6.22 करोड़ पर 5 *प्रतिशत* की दर से ₹ 31.12 लाख के उदग्राहय कर (₹ 29.04 लाख+ ₹ 2.08 लाख) के प्रति ₹ 22.94 लाख का कर लगाया। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 8.18 लाख (₹ 31.12 लाख- ₹ 22.94 लाख) तक के कर का अल्प निर्धारण हुआ। ₹ 11.62 लाख का ब्याज उदग्रहित करना भी अपेक्षित था ।
वार्षिक रिटर्न में कुल वर्गीकृत बिक्री		**5,80,91,930**	**74,07,243**[30]	
मजदूरी प्रभार			(+) 43,69,535	
मजदूरी प्रभार पर लाभ		--	(+) 4,36,954	
मशीन प्रभार		--	(+) 16,45,650	
		5,80,91,930	**1,38,59,382**	₹ 2.11 करोड़ के कार्य संविदा टर्नओवर की तुलना में मजदूरी प्रभार, मजदूरी प्रभार पर लाभ व मशीन प्रभार सहित कुल वर्गीकृत बिक्री पर ₹ 1.38 करोड़ की वसूली की गई। यह ₹ 73.00 लाख तक कम थी जो ₹ 2.93 लाख राशि के @ 4% कर (कर की न्यूनतम दर) के अल्प उदग्रहण में परिणत हुई। ₹ 4.16 लाख का ब्याज उदग्रहित करना भी अपेक्षित था ।
			73,35,013	

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मामले में निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के दौरान कर की दरों की प्रयोज्यता की शुद्धता को जांचने, कर योग्य शास्ति व देय ब्याज की गणना के लिए फाईल किए गए रिटर्नों की छानबीन नहीं की जो अधिनियम/नियम के प्रावधानानुसार आवश्यक थी। इस प्रकार, अभिलेखों को जांचने में निर्धारण प्राधिकारियों की अक्षमता एवं अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन करने में उनकी विफलता ₹ 11.11 लाख[31] तक के कर की न्यूनोक्ति में परिणत हुई जिस पर 15.78[32] लाख का ब्याज उदग्रहित करना भी अपेक्षित था।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि विक्रेता को पुनर्निर्धारण हेतु नोटिस जारी किए गए है। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।

सरकार विक्रेताओं का निर्धारण करते समय मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने हेतु प्रणाली निर्मित करें तथा राज्य में ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करें।

30 कर योग्य टर्नओवर @4% ₹ 10,37,014 + कर योग्य टर्नओवर @ 5% ₹ 41,48,056 +कर योग्य टर्नओवर @ 13.75% ₹ 22,22,173= ₹ 74,07,243

31 ₹ 8.18 लाख + ₹ 2.93 लाख = ₹ 11.11 लाख

32 ₹ 11.62 लाख + ₹ 4.16 लाख = ₹ 15.78 लाख

2.11 मजदूरी प्रभारों की अधिक अनुमति

सकल टर्नओवर से ₹ 99.23 लाख के मजदूरी प्रभारों की अधिक कटौती के परिणामस्वरूप ₹ 7.92 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि जहां मजदूरी प्रभार ठेकेदारों के लेखों से निर्धारित नहीं होता अथवा संविदा की प्रकृति को देखते हुए अनुचित रूप से उच्च समझा जाता है, वहां उक्त अधिनियम/नियमों में संविदा की निर्दिष्ट प्रकृति हेतु निर्धारित सीमाओं के अनुसार निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा मजदूरी प्रभारों में कटौती की अनुमति दी जाएगी।

11 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि कर अवधि 2014-15 से 2016-17 हेतु चार मामलों में दो ठेकेदारों के निर्धारणों को दिसम्बर 2017 व फरवरी 2018 के मध्य अंतिम रूप देते समय दो निर्धारण प्राधिकारियों[33] ने मजदूरी प्रभारों में अमान्य कटौती अनुमत की। निर्धारण प्राधिकारियों ने ठेकेदारों द्वारा किए गए दावे के अनुसार ₹ 3.39 करोड़ के प्रति ₹ 4.38 करोड़ के मजदूरी प्रभार (₹ 17.52 करोड़ के सकल टर्न ओवर का 25 *प्रतिशत*) को अनुमत किया। निर्धारण प्राधिकारियों ने मजदूरी लेखाओं को सत्यापित किए बिना अथवा प्रमाणित लेखाओं के साथ रिटर्नों की प्रति-जांच किए बिना मजदूरी प्रभार अनुमत किए जो ₹ 99.23 लाख के मजदूरी प्रभार की अधिक अनुमति में परिणत हुए। लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विगत 5 वर्षों से बारम्बार इंगित किए जाने के बावजूद निर्धारण प्राधिकारियों ने इन मामलों में प्रमाणित लेखाओं के आधार पर मजदूरी प्रभारों का निर्धारण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 7.92 लाख[34] तक के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.12 लाख[35] का ब्याज उद्ग्रहित किया जाना भी अपेक्षित था।

विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि विक्रेताओं के मामलों का पुर्निर्धारण किया गया था एवं ₹ 1.98 लाख की अतिरिक्त मांग निर्मित तथा वसूल की गई भी परन्तु सहायक दस्तावेजों के अभाव में उत्तर का सत्यापन नहीं किया जा सका। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2020)।

सरकार मजदूरी प्रभारों की अधिक व अनुचित अनुमति एवं अन्य कटौतियों से बचने के लिए विभाग को विक्रेताओं के निर्धारणों की सावधानीपूर्वक जांच करने हेतु तथा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की परिधि के भीतर कटौतियां अनुमत करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग ऐसे समान मामलों की विस्तृत जांच करें एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें।

---

33 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त,शिमला और ऊना

34 **उद्ग्रहण योग्य कर** =अधिक अनुमत x कर की दर(न्यूनतम)/100
शिमला: 18,22,552 x 5/100 = 91128 और 33,84,759 x 13.75/100 = ₹ 4,65,404
ऊना: 4716116 x 5/100 = ₹ 2,35,805
कुल कर: 91,128+4,65,404+2,35,805= ₹ 7,92,337

35 **ब्याज = उद्ग्रहण योग्य कर** x कर की दर x विलम्बित माह/100
शिमला: 91,128 x 1.5 x 22/100+91,128x1/100 = ₹ 30,983 और 4,65,404 x 1.5 x 22/100+465404 x1/100 = ₹ 1,58,237
ऊना: मामला-I: 1,04,895 x 1.5 x 46/100+1,04,895x1/100 = ₹ 73,426
मामला-II : 24,866 x 1.5 x 34/100+24,866x1/100 = ₹12,930
मामला-III: 1,06,046 x 1.5 x 22/100+1,06,046x1/100 = ₹ 36,056
कुल ब्याज: 30,983+1,58,237+73,426+12,930+36,056 = ₹ 3,11,632

राज्य आबकारी

2018-19 में राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित 13 इकाईयों में से ₹ 2,184.20 करोड़ की प्राप्ति वाली 10 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से ₹ 109.66 करोड़ के उत्पाद शुल्क, लाइसैंस फीस, ब्याज शास्ति एवं अन्य अनियमितताओं की वसूली न करना तथा अल्प वसूल करने के 72 मामले उद्घाटित हुए ।

वर्ष 2018-19, के दौरान विभाग ने विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित छः मामलों में ₹ 95.49 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कामियों को स्वीकार किया तथा उसे वसूल किया।

₹ 107.46 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ महत्वपूर्ण मामलों (पांच) पर अनुवर्ती परिच्छेदों 2.12 से 2.16 में चर्चा की गई है:

2.12 लाइसेंस फीस की अल्प वसूली

निर्धारण प्राधिकारियों ने 23 लाइसेंसधारियों से ₹ 82.32 करोड़ की कम जमा लाइसेंस फीस वसूलने के लिए लाइसेंस की पुनर्बिक्री की अनुमति को रद्द/निलंबित करने या बिक्री केन्द्र सील करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

राज्य सरकार की आबकारी घोषणा 2017-18 में प्रावधान है कि किसी विशिष्ट बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए सम्पूर्ण वर्ष हेतु निर्धारित शराब के न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के आधार पर पूर्व निर्धारित होगी। इस प्रकार से निर्धारित की गई है कि फीस 12 मासिक किस्तों में उदग्रहित करनी हैं तथा प्रत्येक माह के अन्तिम दिन किस्त का भुगतान किया जाना है एवं मार्च माह हेतु अन्तिम किस्त का पूर्ण भुगतान 15 मार्च तक किया जाना अपेक्षित है। यदि लाइसेंसधारी अगले माह के अंतिम दिन तक अथवा 15 मार्च तक अंतिम किस्त का भुगतान करने में विफल होता है, तो जिले का प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी यथास्थिति आगामी माह के पहले दिन अथवा 16 मार्च को सामान्य रूप से बिक्री केन्द्र सील करेगा। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी लाइसेंस को रद्द या निलम्बित अथवा बिक्री केन्द्र का पुनः विक्रय कर सकता है तथा इस तरह के मामले को भू-राजस्व के अंतर्गत बकाया घोषित करते हुए सम्पत्ति को कुर्क कर सकता है।

मई 2018 एवं मार्च 2019 के बीच नौ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[36] के एम-2 रजिस्टरों[37] की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2016-18 के लिए 1192 लाइसेंसधारियों में से 23 लाइसेंसधारियों से वसूली योग्य ₹ 334.68 करोड़ की लाइसेंस फीस के प्रति विभाग ने केवल ₹ 252.36 करोड़ की वसूली की। इन बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों की मासिक किस्तें मई 2016 व मार्च 2018 के मध्य से भुगतान हेतु बकाया होने के बावजूद सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने न तो परमिट को रद्द/निलंबित करने के लिए कोई कार्रवाई की न ही शेष लाइसेंस फीस की वसूली हेतु लाईसेंस की पुनः बिक्री के लिए बिक्री केन्द्रों को सील किया। भू-राजस्व के अन्तर्गत बकाया की घोषणा के बाद शेष लाईसेंस फीस की वसूली हेतु इन सभी मामलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी वसूली के लिए सम्बन्धित कलेक्टर को भेजा जाना अपेक्षित था। तथापि, दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने तीन मामलों में बकाया भू-राजस्व के तहत ₹ 3.08 करोड़[38] का बकाया घोषित किया तथा उन लाइसेंसधारियों की सम्पत्ति जैसे दुकान/परिसर इत्यादि को कुर्क करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार, अधिनियम/आबकारी घोषणा की प्रक्रियाओं का पालन करने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 82.32 करोड़ राशि की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

---

36 बद्दी: 2 इकाईयां: ₹ 12.33 करोड़: बिलासपुर: 6 इकाईयां: ₹ 0.53 करोड़, हमीरपुर: तीन इकाई: ₹ 1.44 करोड़, सिरमौर स्थित नाहन: दो इकाई: ₹ 10.52 करोड़, मण्डी: दो इकाई: ₹ 0.50 करोड़, नूरपुर एक इकाई: ₹ 0.16 करोड़, शिमला: पांच यूनिट: ₹ 5.22 करोड़, सोलन: एक इकाई: ₹ 0.22 करोड़ और ऊना: एक इकाई: ₹ 51.40 करोड़

37 एक रजिस्टर जिसमें विदेशी स्पिरिट की मात्रा भारत में निर्मित विदेशी शराब व देशी शराब सहित जो विक्रय लाइसेंस शुल्क की राशि को दर्शाता है।

38 बिलासपुर: दो इकाई: ₹ 1.59 करोड़, सिरमौर स्थित नाहन: एक इकाई: ₹ 1.49 करोड़

विभाग ने बताया (जुलाई 2018 एवं मार्च 2019 के बीच) कि मामलों की समीक्षा के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दे दिये गए हैं।

सरकार लाइसेंसधारियों से हुई वसूलियों की मासिक समीक्षा हेतु प्रभावी तंत्र निर्मित करने अथवा बकाया होने की स्थिति में बिक्री केन्द्रों को सील करने पर विचार करें।

2.13 *न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम शराब उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का अनुदग्रहण*

निर्धारण प्राधिकारियों ने न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने की त्रैमासिक समीक्षा नहीं की जिसके परिणामस्वरूप 1,130 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 62,87,807 प्रूफ लीटर कम शराब उठाने से ₹ 20.28 करोड़ की अतिरिक्त फीस की वसूली नहीं हुई। कम कोटा उठाने के लिए 2.48 करोड़ की शास्ति उदग्रहित की जानी भी अपेक्षित थी।

राज्य सरकार की आबकारी घोषणा 2017-18 यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब दोनों का हर बिक्री केन्द्र हेतु निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने अपेक्षित है तथा लाइसेंसधारी को न्यूनतम गारंटीकृत कोटा के आधार पर नियत की गई लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा। लाइसेंसधारी को न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के 100 *प्रतिशत* बैंचर्माक (मानदण्ड) से कम कोटे की नहीं उठाई गई शराब के लिए देशी शराब पर 10 रुपये प्रति प्रूफ लीटर एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब पर 56 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की अतिरिक्त फीस का भुगतान भी करना होगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारी को न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के 80 *प्रतिशत* बैंचमार्क से कम कोटे की नहीं उठाई गई शराब के लिए देशी शराब पर 7 रुपये प्रति प्रूफ लीटर व भारत निर्मित विदेशी शराब पर 14 रुपये प्रति प्रूफ लीटर की शास्ति भी चुकानी होगीं। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा नहीं लिए गए न्यूनतम गारंटीकृत कोटे पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति की वसूली सुनिश्चित करेगा।

दस सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[39] के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2018 एवं मार्च 2019 के बीच) से पता चला कि 1,837 में से 1,130 बिक्री केन्द्रों ने 2,36,83,000 प्रूफ लीटर (देशी शराब 1,36,93,032 प्रूफ लीटर एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब 99,89,968 प्रूफ लीटर) के निर्धारित वार्षिक न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के प्रति 62,87,807[40] प्रूफ लीटर (देशी शराब 32,44,913 प्रूफ लीटर एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब: 30,42,894 प्रूफ लीटर) कम शराब उठाई जो कि न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के 100 *प्रतिशत* बेंचमार्क से कम थी।

तालिका 2.3: निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा, उठाया गया कम कोटा एवं उद्ग्रहित अतिरिक्त फीस/शास्ति का विवरण

शराब के प्रकार	निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (प्रूफ लीटर में)	100 *प्रतिशत* से कम (प्रूफ लीटर में)	अतिरिक्त फीस (₹ में)	80 *प्रतिशत* से कम (प्रूफ लीटर में)	शास्ति (₹ में)
देशी शराब	1,36,93,032	32,44,913	3,24,49,128	10,94,315	76,60,209
भारत में निर्मित विदेशी शराब	99,89,967	30,42,894	17,04,02,068	12,22,666	1,71,17,323
योग	**2,36,82,999**	**62,87,807**	**20,28,51,196**	**23,16,981**	**2,47,77,532**

[39] बद्दी: 58 बिक्री केन्द्र: ₹ 1.98 करोड़; बिलासपुर: 151 बिक्री केन्द्र: ₹ 1.52 करोड़; हमीरपुर: 72 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.45 करोड़; कागंड़ा स्थित धर्मशाला: 134 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.90 करोड़; मण्डी: 171 बिक्री केन्द्र: ₹ 3.80 करोड़; नुरपूर: 24 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.29 करोड़; सिरमौर: 33 बिक्री केन्द्र: ₹ 1.54 करोड़; सोलन: 62 बिक्री केन्द्र: ₹ 2.67 करोड़; शिमला: 144 बिक्री केन्द्र: ₹ 2.37 करोड़ व ऊना: 281 बिक्री केन्द्र: ₹ 4.74 करोड़.

[40]

शराब का कोटा	देशी शराब	भारत निर्मित विदेशी शराब	कुल
निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा	1,36,93,032	99,89,967	2,36,83,000
उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा	1,04,48,119	69,47,073	1,73,95,193
कम उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा	32,44,913	30,42,894	62,87,807

इस प्रकार उठाए गये कम कोटे पर ₹ 20.28 करोड़ की अतिरिक्त फीस उद्ग्रहित की जानी अपेक्षित थी। इसके अतिरिक्त इन 1,130 बिक्री केन्द्रों में से 546 बिक्री केन्द्रों में न्यूनतम गारंटीकृत कोटा के प्रति 80 *प्रतिशत* बेंचमार्क से 23,16,982 प्रूफ लीटर कम उठाई गई तथा इन लाइसेंसधारियों से ₹ 2.48 करोड़ की शास्ति को उद्ग्रहित किया जाना अपेक्षित था। तथापि, विभाग ने इसका उदग्रहण नहीं किया।

इस तथ्य के बावजूद कि लेखापरीक्षा ने पिछले छ: वर्षों से बार-बार इन कमियों को इंगित किया था, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने आबकारी घोषणा का उल्लंघन करते हुए त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने की प्रास्थिति की जांच करने के लिए कोटा उठाने वाली विवरणी की समीक्षा नहीं की जो कि आबकारी घोषणा के प्रावधानों को लागू करने में लापरवाही या अनिच्छा को दर्शाता है। इस प्रकार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/आबकारी एवं कराधान अधिकारी की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 22.76 करोड़ (₹ 20.28 करोड़ + ₹ 2.48 करोड़) की अतिरिक्त फीस एवं शास्ति की अल्प वसूली हुई।

विभाग ने बताया (जनवरी 2020) कि सम्बन्धित लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं तथा राशि की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दिये गए हैं।

सरकार कोटा उठाने की प्रास्थिति की मासिक समीक्षा हेतु प्रभावी तंत्र स्थापित करने पर विचाार करें ताकि अतिरिक्त फीस की वसूली के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके।

2.14 अनुबंधित गोदामों/मद्यशालाओं पर तैनात आबकारी कर्मचारी के वेतन की अल्प वसूली/वसूली न करना

दो मदिरा निर्माणशाला, तीन मद्यशाला एवं पांच बोतल संयंत्रो में तैनात आबकारी स्थापना कर्मचारियों के ₹ 58.36 लाख वेतन की वसूली लाइसेंसधारियों से नहीं की गई।

पंजाब मद्यशाला नियमावली, 1932 जो कि हिमाचल प्रदेश में भी लागू होता है, के नियम 9.13 एवं 9.16 में प्रावधान है कि नियमों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाइसेंसधारी को अपनी मद्यशाला में एक शासकीय आबकारी स्थापना की तैनाती के लिए सहमत होना होगा। यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो लाइसेंसधारी मद्यशाला में तैनात शासकीय आबकारी स्थापना के वेतन की यदि मांग की गई हो तो भुगतान सरकार को करेगा। परन्तु वह ऐसी स्थापना के किसी सदस्य को किसी प्रकार का सीधा भुगतान नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने 10 लाइसेंसधारियों (दो मदिरा निर्माणशाला, तीन मद्यशाला एवं पांच बॉटलिंग संयंत्रों) के अभिलेख की दोबारा जांच सम्बन्धित पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[41] के अभिलेखों के साथ जांच की तथा पाया कि वर्ष 2016-18 के लिए मद्यशाला/मदिरा निर्माण शाला/बॉटलिंग संयंत्रों में तैनात आबकारी स्थापना कर्मचारियों के ₹ 74.40 लाख वेतन की राशि का लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित था। तथापि, 10 में से दो लाइसेंसधारियों ने मात्र ₹ 16.03 लाख[42] का सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को भुगतान किया। आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने के कारण सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को इन तैनातियों की जानकारी थी तथा वे सरकारी बकाया की समय पर वसूली हेतु जबाबदार थे। देय वेतन की मांग का निर्धारण एवं उसका भुगतान करने में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कमजोर आंतरिक नियंत्रण व पर्यवेक्षण के अभाव के कारण ₹ 58.36 लाख[43] की वसूली नहीं हुई।

---

41 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी, मण्डी, नाहन, नुरपूर व ऊना

42 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: नुरपूर: ₹ 5.32 लाख व ऊना: ₹ 10.71 लाख

43 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी: ₹ 18.29 लाख, मण्डी: ₹ 10.11 लाख, नाहन: ₹ 18.21 लाख, नुरपूर: ₹ 3.14 लाख व ऊना: ₹ 8.61 लाख

विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2020) कि पांच मामलों में ₹ 23.57 लाख[44] की वसूली कर ली गई तथा अन्य मामलों में राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी किए गए है। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दिये गए हैं।

2.15 बॉटलिंग शुल्क की वसूली न करना

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी ने एक लाइसेंसधारी से ₹ 51.31 लाख की बॉटलिंग शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

आबकारी घोषणा वर्ष 2017-18 में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी द्वारा भारतीय निर्मित विदेशी शराब पर बॉटलिंग शुल्क ₹ पांच प्रति 750 मिलीलीटर तथा देशी शराब पर ₹ एक प्रति 750 मिलीलीटर का भुगतान किया जायेगा। पंजाब मद्यशाला नियमावली, 1932 के नियम 9.5 (6)(9ए) में प्रावधान है कि शुल्क तिमाही आधार पर देय होगा यानी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात दिनों के भीतर देना होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मंडी के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि एक बॉटलिंग संयंत्र के लाइसेंसधारी ने वर्ष 2017-18 के दौरान बॉटलिंग शुल्क के ₹ 51.31 लाख जमा नहीं किए। लेखापरीक्षा द्वारा हर साल इन चूकों को इंगित किए जाने के बावजूद सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने आबकारी घोषणा के अनुसार न तो बॉटलिंग शुल्क की वसूली न ही लाइसेंस रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई की, जबकि लाइसेंसधारी का भुगतान जुलाई 2017 से बकाया था। बॉटलिंग संयंत्र में तैनात आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी एवं कराधान निरीक्षक द्वारा प्रत्येक तिमाही के पश्चात् बॉटलिंग शुल्क की वसूली की जानी थी परन्तु नहीं की गई।

इस प्रकार, लाइसेंसधारी के विरूद्ध अधिनियम/नियमों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव तथा समय पर राजस्व की वसूली हेतु भुगतान की प्रास्थिति की समीक्षा करने में विभाग की अपर्याप्त सक्रियता कमजोर आंतरिक नियंत्रण की परिचायक थी जो ₹ 51.31 लाख राशि के बॉटलिंग शुल्क की अवसूली में परिणत हुई।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2019) कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी नें आबकारी एवं कराधान निरीक्षक को निर्देशित किया कि सम्बन्धित बोटलिंग संयंत्रों से बोटलिंग शुल्क वसूल किया जाए।

सरकार त्रैमासिक आधार पर लाइसेंसधारियों से वसूलियों की आवधिक समीक्षा हेतु एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने पर विचार करें।

2.16 विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनुदग्रहण

विभाग द्वारा 134 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से बॉटलिंग फीस/लाइसेंस फीस/बॉटलिंग शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ₹ 3.75 करोड़ की राशि के ब्याज की मांग न किए जाने के परिणामस्वरूप इतने ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ।

आबकारी घोषणा 2017-18 में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी एक मास के भीतर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा लेने में असमर्थ होता है, तो उसे महीने के अंतिम दिन तक लाइसेंस शुल्क की पूरी किस्त का भुगतान करना होगा तथा मार्च मास की फीस का पूर्ण भुगतान दिनांक 15 मार्च तक किया जाना अपेक्षित है। पैरा 4.5 (ए) में आगे, प्रावधान है कि अगर लाइसेंसधारी फीस का हिस्से का भुगतान निर्धारित तिथि तक करने में विफल रहता है, तो एक महीने की अवधि पर 14 *प्रतिशत* की दर से तथा उसके बाद 18 *प्रतिशत* वार्षिक दर से ब्याज उद्ग्राहय होगा। हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब मद्यशाला नियमावली, 1932 के नियम 9.5 (6(ए)ii) के अनुसार, निर्धारित दरों पर बॉटलिंग शुल्क त्रैमासिक आधार होगा अर्थात वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात दिनों के भीतर पर

[44] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी: दो मामले ₹ 11.64 लाख, नाहन: दो मामले ₹ 8.80 लाख व नुरपूर: एक मामले ₹ 3.13 लाख

देय। नियम 9.5 (8) में आगे यह प्रावधान है कि देय तिथि तक बॉटलिंग फीस अथवा उसके भाग का भुगतान करने में विफल रहने के मामले में फीस भुगतान की बकाया तिथि से एक माह की अवधि या उसके भाग हेतु 12 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से तथा यदि फीस भुगतान बकाया एक माह से आगे बढ़ता है तो जबतक बकाया जारी रहे तबतक भुगतान होने की प्रारंभिक तिथि से 18 *प्रतिशत* की वार्षिक दर पर ब्याज देय होगा।

मई 2018 और मार्च 2019 के मध्य 10 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[45]के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 1,837 बिक्री केन्द्रों में से 134 के लाइसेंसधारियों ने, ₹ 258.37 करोड़ की लाइसेंस फीस एवं ₹ 3.73 करोड़ का बॉटलिंग शुल्क देय तिथियों के पश्चात जमा (अप्रैल 2016 और नवम्बर 2017 के मध्य) किया था। विलंब दो से 339 दिनों के मध्य का था। अतएव, ये लाइसेंसधारी विलंबित भुगतानों पर ₹ 3.75 करोड़[46](लाइसेंस शुल्क पर ₹ 3.54 करोड़ और बॉटलिंग शुल्क पर ₹ 21.26 लाख) के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

हालांकि, सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने आबकारी घोषणा के प्रावधानों के अनुसार ना ही कोई मांग उठाई और न बिक्री केन्द्र सील किए। इसके अतिरिक्त, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/निर्धारण प्राधिकारियों ने पिछले पांच वर्षों में बार-बार लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद इन भी कमियों की समीक्षा नहीं की, जो कि आबकारी घोषणा के प्रावधानों को लागू करने में लापरवाही अथवा अकर्मण्यता का परिचायक है।

विभाग ने बताया (अगस्त 2020) कि लाइसेंसधारियों से राशि वसूलने के लिए सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

सरकार अपने राजस्व की सुरक्षा हेतु मद्यशालाओं, मदिरा निर्माणशालाओं, बॉटलिंग संयंत्रों से वसूलियों की आवधिक समीक्षा संचालित करने पर विचार करें।

[45] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, धर्मशाला, मण्डी, नुरपूर, शिमला, सिरमौर, सोलन व ऊना।

[46] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त: बद्दी तीन विक्रेता: ₹ 0.79 करोड़, बिलासपुर 10 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.25 करोड़, हमीरपुर 19 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.25 करोड़, धर्मशाला 29 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.11 करोड़, मण्डी 15 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.26 करोड़, नुरपूर एक बिक्री केन्द्र: ₹ 0.05 करोड़, शिमला 19 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.67 करोड़, सिरमौर 26 बिक्री केन्द्र: ₹ 0.26 करोड, सोलन छ: बिक्री केन्द्र: ₹ 1.07 करोड़ व ऊना छ: विक्रेता: ₹ 0.03 करोड़

स्टाम्प शुल्क

वर्ष 2018-19 के दौरान 155 इकाईयों में से ₹ 251.6 करोड़ की प्राप्ति वाली 55 इकाईयों के राजस्व विभाग से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जांच में, 305 मामलों में सम्पत्ति के बाजारी मूल्य के गलत निर्धारण, स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का अल्प /अनुद्ग्रहण, पट्टे-नामे (पट्टा-विलेख) पर स्टाम्प शुल्क की अल्प/अवसूली तथा अन्य अनियमितताओं से अंतर्ग्रस्त ₹ 10.65 करोड़ पाए गए।

वर्ष 2018-19 के दौरान, विभाग ने पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 107 मामलों में राजस्व निहितार्थ से युक्त ₹ 1.55 करोड़ तथा 2018-19 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 292 मामलों में ₹ 10.48 करोड़ के अवनिर्धारणों व अन्य कमियों को स्वीकार किया। 114 मामलों में ₹ 60.45 लाख की राशि की वसूली की गई जिसमें से सात मामलों के ₹ 3.41 लाख वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे तथा 107 मामलों के ₹ 57.03 लाख पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे।

वित्तीय निहितार्थ से युक्त ₹ 12.07 करोड़ के महत्वपूर्ण मामलों (दो) पर अनुवर्ती परिच्छेदों 2.17 व 2.18 में चर्चा की गई है।

2.17 'स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का उदग्रहण एवं संग्रहण'

बिक्री/पट्टेनामे के 809 मामलों में उप-पंजीयकों ने पंजीयन के पूर्व संशोधित दरों के संदर्भ में सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य या कीमत पर विचार नहीं किया अथवा भूमि के सर्किल रेट (सर्किल दरों) का सत्यापन अथवा सड़क से भूमि की दूरी के संदर्भ में शपथ-पत्रों की प्रति-जांच नहीं की। पट्टेनामें के मामलों में उप-पंजीयकों ने एक समान प्रक्रिया नहीं अपनाई थी। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के गलत उदग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 10.53 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त पट्टेनामें के पंजीयन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले हिमाचल पंजीयन सूचना सॉफ्टवेयर (हिमाचल रजिस्ट्रेशन इनफार्मेशन, हिमरिस में खामियां थी तथा एप्लिकेशन केन्द्रीकृत सर्वर के बिना प्रत्येक इकाई में स्वतंत्र सर्वरों पर चल रही थी

2.17.1 परिचय

सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य या माने गए मूल्य पर बिक्री/पट्टेनामे दस्तावेज के पंजीयन पर प्रभारित राशि *'स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस'* के नाम से जानी जाती हैं।

स्टाम्प शुल्क, सम्पत्तियों के सभी लेन-देन पर भारतीय स्टाम्प शुल्क, 1899 की धारा 3 के तहत् सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष देय कर हैं। राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के प्रलेखों (लिखत) जैसे बैनामा, रेहन, पट्टे इत्यादि पर महानिरीक्षक के माध्यम से स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का उदग्रहण एवं संग्रहण करती है, जो विभागाध्यक्ष होता है तथा उप-आयुक्त/कलेक्टर व उप-पंजीयक इसके सहायक होते हैं। स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के उदग्रहण व संग्रहण हेतु राज्य में 12 कलेक्टर व 117 तहसीलदार/नायब तहसीलदार हैं जो क्रमश: पंजीयक व उप-पंजीयक के रूप में कार्यरत् है।

सम्पत्तियों के हस्तांतरण अर्थात निर्मित-संरचना, भूमि, पटटेनामें पर सम्पत्ति के माने गए मूल्य या बाजारी मूल्य में से जो भी उच्च हो उसे स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के उदग्रहण हेतु लिया जाता है। इनके पंजीयन के लिए लाइसेंस प्राप्त अथवा पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से सम्पत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य है।

स्टाम्प शुल्क 6 *प्रतिशत* की दर से उद्ग्राहय है। महिलाओं के लिए स्टाम्प शुल्क चार *प्रतिशत* की दर से उदग्राह्य है, जो निर्मित संरचना (आवासीय) के बिक्री/उपहार नामे पर 21 जून 2016 से पूर्ण प्रभाव से घटा कर तीन *प्रतिशत* कर दी गई थी। पंजीयन फीस सम्पत्ति का माना गया या बाजारी मूल्य जो भी अधिक हो, पर दो *प्रतिशत* की दर से उदग्राह्य है।

विभाग में बिक्री नामें/बैनामें के पंजीयन हेतु प्रत्येक उप-पंजीयन या उप-तहसील कार्यालय में हिमाचल रजिस्ट्रेशन इन्फार्मेशन सॉफ्टवेयर, (हिमरिस, हिमाचल पंजीयन सूचना सॉफ्टवेयर) उपलब्ध है। हिमरिस एक स्वचलित-स्वशासी प्रोजेक्ट है जो दस्तावेज की सरल एवं एक समान पंजीयन प्रक्रिया, पंजीयन के उपरांत उसी दिन अभिलेख संकलन तथा मूल दस्तावेज की निश्चित वापसी सुनिश्चित करती है। यह एप्लीकेशन वर्क-फ्लो (प्रविष्टि आधारित, पिछला पेज भरने पर ही अगला भरा जा सके) आधारित है तथा *हिमभूमि* (कम्प्यूटरीकृत भू-रिकार्ड) के साथ सम्बन्ध है।

बिक्री नामें एवं वाहननामें पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के उदग्रहण व संग्रहण के संदर्भों में इस व्यवस्था की दक्षता एवं शुद्धता का आकलन करने के लिए दिसम्बर 2018 व अप्रैल 2019 के मध्य लेखापरीक्षा संचालित की गई।

156 पंजीयन कार्यालयों (पंजीयक/उप-पंजीयक) में से 33[47] उप पंजीयकों के अभिलेखों वर्ष 2015, 2016 व 2017 की नमूना-जांच की गई। नमूना-जांचित उप-पंजीयकों में,1.50 लाख नामे (विलेख)दस्तावेज पंजीकृत किए गए थे जिसमें से नमूना जांच के लिए चयन की गई अवधि में 40,625 दस्तावेजों की गई थी। 2015-17 के मध्य स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत राज्य की प्राप्तियां साथ ही उप-पंजीयकों के नमूने के तौर पर ली गई प्राप्तियां नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 2.4: स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत राज्य की एवं नमूना-जांचित उप-पंजीयकों की नमूना जांचित प्राप्तियां

वर्ष	राज्य की प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	उप-पंजीयकों (33) की नमूना जांचित की गई प्राप्तियां (₹ करोड़ में)
2015-16	205.52	86.91
2016-17	209.16	87.99
2017-18	205.52	99.13

स्त्रोत: उप-पंजीयकों की नमूने के तौर पर लिए गए निरीक्षण प्रतिवेदन एवं वित्त लेखें

2.17.2 निर्मित-संरचनाओं पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश स्टाम्प (प्रलेख/लिखत अल्प मूल्यांकन निवारण) संशोधन नियम, 1992 जो संशोधित हुआ (जून 2013), निर्धारित करता है कि आवासीय/गैर आवासीय भवनों के मूल्यांकन की दरें तय करने के लिए निश्चित कारकों पर विचार किया जाए जैसे - (i) भवन का पक्का, अर्ध पक्का एवं कच्चा में वर्गीकरण; (ii) वह क्षेत्र जहां भवन स्थित है; (iii) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित नवीनतम् कुर्सी क्षेत्रफल (प्लींथ एरिया) दर, (iv) वार्षिक वृद्धि हेतु प्रीमियम, तथा (v)भवन/संरचना की न्यूनतम लागत पर पहुंचने हेतुसंरचना इत्यादि द्वारा घेरा गया भू-क्षेत्र (अनुपातिक या पूर्णरूपेण)।

जून 2013 में अधिसूचित की गई निर्मित-क्षेत्र दरें भूमि की निम्नत्म श्रेणी पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया है कि उप-आयुक्त, जिले में भूमि की उच्चतर श्रेणियों हेतु भवनों के लिए मूल दर पर उसी अनुपात पर जैसे, भू-दरों में ली जाती है, बढ़ौतरी करके अंतिम रूप देंगे। यह दरें पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च तक लागू होगी और आगामी वर्ष हेतु दरें पुनरीक्षित की जाएगी जो 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी होगी। उक्त अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि आवासीय अथवा गैर-आवासीय भवनों के मूल्यांकन हेतु दरें तय करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित नवीनतम कुर्सी क्षेत्र दरों पर विचार किया जा सकता है।

राजस्व विभाग ने वर्ष 2013-14 हेतु निर्मित-संरचना पर ₹ 12,746 प्रति वर्ग मीटर की दरें अधिसूचित की (जून 2013)। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने अगस्त 2014 में आवासीय भवनों हेतु ₹ 24,436 प्रति वर्ग मीटर से संरचना दरें पुनरीक्षित की।

नमूना-जांचित 33 उप-पंजीयकों में, 10 उपायुक्तों[48] द्वारा निर्मित-संरचनाओं हेतु अंतिम रूप दी गई दरों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि अधिसूचना (जून 2013) द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई क्योंकि उपायुक्तों ने प्रति वर्ष 1 अप्रैल से दरें पुनरीक्षित नहीं की थी। उप-आयुक्त (कांगड़ा) ने दरें पुनरीक्षित की थी जो 1 अप्रैल 2015 से प्रयोज्य थीं तथा उपआयुक्त (सोलन) ने 1 अप्रैल 2016 से दरें पुनरक्षित की। तीन जिलों (चम्बा, शिमला व ऊना) के उपायुक्तों ने तीन वर्ष बीत जाने के उपरांत 1 अप्रैल 2017 से प्रयोज्य दरें पुनरीक्षित की। पुनरीक्षित दरें (वर्ष 2017-18 हेतु उपायुक्त शिमला द्वारा कच्चे भवन हेतु ₹ 1,603.56) अगस्त 2014 की अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम दर (₹ 6,109) से बहुत कम थी। बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी एवं सिरमौर के पांच उपायुक्तों ने 2017 तक दरें पुनरीक्षित/तय नहीं की थी।

---

47 अम्ब, बद्दी, बल्ह, बलई, भरवांई, भूंतर, बिलासपुर, डलहौजी, दाडलाघाट, हमीरपुर, हरोली, इंदौरा, ज्वाली, कमरऊ, कण्डाघाट, कुल्लू, नाहन, नालागढ़, निरमंड, नुरपूर, पच्चड़, पालमपुर, पावंटा साहिब, सैंज, संधौल, साहपुर, शिमला ग्रामीण, शिमला शहरी, सोलन, सुंदरनगर, ठियोग, थूरल व ऊना।

48 बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगडा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन व ऊना

परिणामस्वरूप, नमूना-जांचित 33 उप पंजीयकों में से 31 उप-पंजीयकों[49] ने 403 बिक्री नामे में निर्मित-संरचनाओं पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का अल्प उदग्रहण किया। ये नामे जनवरी 2015 व दिसम्बर 2017 के मध्य ₹ 77.31 करोड़ की मानी गई राशि हेतु पंजीकृत किए गए थे तथा इस राशि की गणना निजी मूल्यांकनकर्ता द्वारा सम्पत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर की गई थी। यह मूल्यांकन सरकार/विभाग द्वारा, निर्मित-संरचनाओं अधिसूचित के लिए दरों के आधार पर नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित उपायुक्तों द्वारा तय किए कुर्सी क्षेत्र दरों अथवा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की पुनरीक्षित दरों के आधार पर सम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य निर्मित-संरचना सहित ₹ 149.32 करोड़ निकाला गया। तथापि, उप-पंजीयकों ने बिक्री नामे पंजीकृत करते समय निर्मित-संरचना की तय/पुनरीक्षित कुर्सी क्षेत्र दरों के संदर्भ में मानी गई राशि का सत्यापन नहीं किया था जबकि विभाग के पास दरें/अभिलेख उपलब्ध थी। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने निर्मित-संरचनाओं की दरें अगस्त 2014 में पुनरीक्षित की थी जबकि सम्बन्धित उपायुक्तों ने निर्मित-संरचनाओं की दरें वार्षिक रूप से पुनरीक्षित नहीं की जो कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना न होने के परिणामस्वरूप क्रेता को अनुचित लाभ मिला साथ ही ₹ 5.03 करोड़ के राजस्व (₹ 3.58 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 1.45 करोड़ की पंजीयन फीस) की अल्प वसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, विभाग ने सूचित किया (जूलाई 2019) कि 17 मामलों में ₹ 6.08 लाख[50] की वसूली की गई थी तथा शेष मामलों हेतु कोई उत्तर नहीं दिए गए।

2.17.3 गलत सर्किल दरें लागू करना

शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के मामलों में बिक्री नामें के पंजीयन के उद्देश्यार्थ भूमि का मूल्यांकन, भूमि के वर्गीकरण के आधार पर तथा हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियम-पुस्तिका 1992 के अनुसार किया जाता है। जनवरी 2016 में जारी अधिसूचना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की भूमि का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से उन्हें उनके स्थित होने के आधार पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जो है:(क) किसी सड़क से 25 मीटर की दूरी तक स्थित होने पर; (ख) 25 मीटर की दूरी से अधिक 50 मीटर तकस्थित होने पर; (ग) किसी सड़क से 50 मीटर की दूरी से अधिक 100 मीटर तकस्थित होने पर; (घ) किसी सड़क से 100 मीटर की दूरी से अधिक 1000 मीटर की दूरी तक स्थित होने पर; (ड) राजस्व भूमि (सम्पत्ति) में किसी सड़क से 1000 मीटर की दूरी से अधिक तक स्थित होने पर।सड़कों का भी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा अन्य सड़क के रूप में वर्गीकरण किया गया था। स्टाम्प शुल्क की गणना के लिए क्रेता को सम्बन्धित भूमि की दूरी बताने वाला अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य मार्ग की होल्डिंग बताने वाला शपथ-पत्र भूमि की दर के उदग्रहण हेतु फाईल करना अपेक्षित था। यदि क्रेता का शपथ-पत्र झूठा पाया जाता है, तो प्रयोज्य स्टाम्प शुल्क/ पंजीयन फीस से 50 *प्रतिशत* तक की शास्ति लगाई जानी एवं वसूली की जानी थी।

i. नमूना-जांचित 33 उप-पंजीयकों में लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 21 उप-पंजीयकों ने 2015 और 2017 के मध्य विभिन्न श्रेणियों की सड़कों से सम्पत्तियों की दूरी के सम्बन्ध में क्रेता द्वारा फाईल किए गए शपथ-पत्र के आधार पर ₹ 59.12 करोड़ के माने गए मूल्य हेतु 155 दस्तावेजों का पंजीयन किया। भूमि का वर्गीकरण भूमि की दूरी की गलत गणना करके या राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य सड़क की गलत होल्डिंग के द्वारा किया गया था तथा ₹ 2.78 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 1.02 करोड़ की पंजीयन फीस उदग्रहित की गई। लेखापरीक्षा ने उप-पंजीयकों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कानूनगो (राजस्व प्राधिकारी) के पास उपलब्ध नक्शे (लत्था) से शपथ-पत्र का प्रति-सत्यापन किया तथा भूमि की उदग्रहण

---

49 बिलासपुर: 24 मामले: ₹ 16.03 लाख; हमीरपुर: 34 मामले: ₹ 98.88 लाख, इंदौरा: एक मामला: ₹ 1.05 करोड़; ज्वाली: एक मामला: ₹ 0.30 लाख, नुरपूर: पांच मामले: ₹ 1.50 लाख, पालमपुर: चार मामले: ₹ 2.63 लाख, साहपुर: दो मामले: ₹ 0.13 लाख; थूरल: दो मामले: ₹ 0.39 लाख; भूंतर: पांच मामले: ₹ 16.52 लाख; कुल्लू: 26 मामले: ₹ 20.77 लाख; निरमण्ड: एक मामला: ₹ 0.51 लाख; सैंज: चार मामले: ₹ 4.20 लाख; बल्ह: 26 मामले: ₹ 18.88 लाख; संधोल: एक मामला: ₹ 0.27 लाख; सुन्दरनगर: 16 मामले: ₹ 24.73 लाख; शिमला ग्रामीण: 68 मामले: ₹ 50.30 लाख; शिमला शहरी: 33 मामले: ₹ 32.03 लाख; ठियोग: पांच मामले: ₹ 5.55 लाख; कमरऊ: छ: मामले: ₹ 3.73 लाख; नाहन: 20 मामले; ₹ 38.70 लाख; पच्छ्ड़: नौ मामले: ₹ 11.04 लाख; पावंटा: 11 मामले: ₹ 12.78 लाख; बद्दी: 28 मामले: ₹ 33.88 लाख; दाडलाघाट: सात मामले: ₹ 10.25 लाख; कण्डाघाट: एक मामला: ₹ 0.90 लाख; नालागढ़: 13 मामले: ₹ 6.20 लाख; सोलन: 20 मामले: ₹ 8.31 लाख अम्ब: आठ मामले: ₹ 2.22 लाख; भरवाई: एक मामला: ₹ 0.55 लाख; हरोली: 12 मामले: ₹ 59.86 लाख व ऊना: नौ मामले: ₹ 5.30 लाख

50 उप-पंजीयक: हमीरपुर: नौ मामले, सैंज: एक मामला व सुन्दरनगर: सात मामले।

योग्य दरों के आधार पर सम्पत्तियों की कीमत ₹ 94.43 करोड़ आंकी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपपंजीयकों को शपथ-पत्रों में कहे गए तथ्यों को अभिलेख (लत्थे) के अनुसार तथा विलेख पंजीकरण के पूर्व विभाग के पास उपलब्ध भूमि की दरों के साथ-साथ भूमि की वास्तविक दूरी अथवा सड़को की होल्डिंग का सत्यापन भी करना चाहिए था। उप-पंजीयकों ने क्रेताओं द्वारा फाइल किए गए शपथ-पत्रों पर विश्वास किया जिनमें गलत/झूठे विवरण दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप इन मामलों मे वास्तविक दूरी के आधार पर ₹ 94.43 करोड़ के वास्तविक मूल्यांकन के प्रति ₹ 55.12 करोड़ के मूल्यांकन को अपनाया गया। यदि उप-पंजीयक इन नामें के पंजीयन के पूर्व वर्तमान सर्किल दरों का सत्यापन करते तो विभाग ₹ 6.10 करोड़ की वसूली कर सकता था जिसके प्रति मात्र ₹ 3.80 करोड़ की ही वसूली हो सकी। यह ₹ 2.29 करोड़[51](₹ 1.67 करोड़ स्टाम्प शुल्क + ₹ 0.62 करोड़ पंजीयन फीस) के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के अल्प उदग्रहण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त, स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस पर प्रयोज्य 50 *प्रतिशत* की दर से ₹ 2.98 करोड़ की शास्ति भी उदग्रहित की जानी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा द्वारा बारम्बार इंगित किए जाने के बावजूद इकाई/विभाग के गलती करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही/जिम्मेदारी तय नहीं की गई।

ii. इसके अतिरिक्त, 19 उप-पंजीयकों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2015 व 2017 के मध्य ₹ 15.14 करोड़ के माने गए मूल्य हेतु 155 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया था। इन नामे को पंजीकृत करते समय उप-पंजीयकों ने सहायक दस्तावेजों की उपेक्षा/अनदेखी की तथा किसी सड़क से भूमि की दूरी एवं जमाबन्दी के अनुसार उपजाऊ या अनुपजाऊ भूमि की श्रेणी हेतु सर्किल दरों पर विचार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.56 करोड़ के वास्तविक मूल्यांकन के प्रति ₹ 15.14 करोड़ का गलत मूल्यांकन किया गया जो ₹ 33.53 लाख[52] के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस (₹ 24.16 लाख का स्टाम्प शुल्क ₹ 9.37 लाख की पंजीयन फीस) की अल्प वसूली हुई।

iii. इसी प्रकार, 12 उप-पंजीयकों[53] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 155 में से 42 मामलों में नामें पंजीकृत करते समय क्रेताओं ने भूमि की दूरी बताने वाले अपेक्षित शपथ-पत्र उप पंजीयकों को प्रस्तुत नहीं किए। शपथ-पत्र के अभाव में, सम्पत्तियों के गलत मूल्यांकन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: शपथ-पत्रों के विवरणों की जांच करने हेतु विभाग में किसी तंत्र के अभाव के कारण सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य का अशुद्ध निर्धारण हुआ जो राज्य के राजस्व की कीमत पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के अब निर्धारण में परिणत हुआ।

इंगित करने पर दो उप-पंजीयकों ने सूचित किया (जून 2019 व जून 2020) कि ₹ 2.69 लाख[54] की वसूली की गई थी। अन्य उप पंजीयकों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया (सितम्बर 2020)।

2.17.4 पट्टेनामें पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली

राजस्व विभाग ने अधिसूचना के (जनवरी 2012) माध्यम से सम्पत्ति के बाजारी मूल्य या मानी गई राशि में से जो अधिक हो, उसके 5 *प्रतिशत* की दर से स्टाम्प शुल्क व दो *प्रतिशत* की दर से पंजीयन फीस पट्टेनामे के पंजीयन हेतु निर्धारित की।

---

51 इंदौरा: नौ मामले: ₹ 7.12 लाख; ज्वाली: नौ मामले: ₹ 5.16 लाख, नुरपूर: 13 मामले: ₹ 11.84 लाख, पालमपुर: छ: मामले : ₹ 23.48 लाख, साहपुर: दो मामले: ₹ 0.29 लाख, थूरल: तीन मामले: ₹ 0.19 लाख, भूंतर: चार मामले: ₹ 0.43 लाख, निरमण्ड: एक मामला: ₹ 1.67 लाख, बल्ह: तीन मामले: ₹ 2.39 लाख, सुन्दरनगर: एक मामला: ₹ 5.27 लाख, शिमला ग्रामीण: 10 मामले: ₹ 59.04 लाख, शिमला शहरी: एक मामला: ₹ 1.26 लाख, ठियोग: सात मामले: ₹ 3.91 लाख, नाहन: नौ मामले: ₹ 42.93 लाख, पावंटा: 18 मामले: ₹ 13.47 लाख, बद्दी: 16 मामले: ₹ 29.36 लाख, नालागढ़: आठ मामले: ₹ 7.45 लाख, अम्ब: 12 मामले: ₹ 7.41 लाख भरवाई: 12 मामले: ₹ 1.86 लाख, हरोली: पांच मामले: ₹ 1.76 लाख व ऊना: छ: मामले: ₹ 3.26 लाख

52 बिलासपुर: दो मामले: ₹ 0.24 लाख; भलेई: दो मामले: ₹ 0.17 लाख; डलहौजी: चार मामले: ₹ 0.33 लाख; हमीरपुर: नौ मामले: ₹ 3.46 लाख; नुरपूर: चार मामले: ₹ 1.50 लाख; भूंतर: 12 मामले: ₹ 2.16 लाख; कुल्लू: 15 मामले: ₹ 2.0 लाख; सैंज: एक मामला: ₹ 0.05 लाख; बल्ह: छ: मामले: ₹ 0.99 लाख; संधोल: आठ मामले: ₹ 0.20 लाख; नाहन: चार मामले: ₹ 1.10 लाख; पच्चड: दो मामले: ₹ 4.98 लाख; पावंटा साहिब: 56 मामले: ₹ 8.72 लाख; बद्दी: पांच मामले: ₹ 2.83 लाख; नालागढ़: आठ मामले: ₹ 1.81 लाख; सोलन: छ: मामले :₹ 2.19 लाख; अम्ब: एक मामला: ₹ 0.10 लाख; भरवाईं: एक मामला: ₹ 0.13 लाख व ऊना: नौ मामले: ₹ 0.57 लाख

53 अम्ब, भरवाई, बल्ह, हरोली, इदौंरा, ज्वाली, नुरपूर, पालमपुर, पावंटा साहिब, साहपुर, थूराल व ठियोग

54 हमीरपुर: दो मामले: ₹ 0.24 लाख एवं निरमण्ड: एक मामला: ₹ 2.45 लाख

नमूना-जांचित 33 उप-पंजीयकों में से 25 उप-पंजीयकों में 96 मामलों में भूमि को 2015 व 2017 के मध्य दो वर्षों से 99 वर्षों की अवधि हेतु पट्टे पर दिया गया। इन पट्टेनामे के पंजीयन में उप पंजीयकों ने भूमि के ₹ 185.96 करोड़ के बाजारी मूल्य के आधार पर ₹ 3.53 करोड़ के उदग्रहण योग्य स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस (₹ 2.53 करोड़ का स्टाम्प शुल्क +₹ 1.00 करोड़ की पंजीयन फीस) के बजाय ₹ 65.61 लाख का स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस (₹ 47.45 लाख का स्टाम्प शुल्क, ₹ 18.16 का पंजीयन फीस) उदग्रहित की। लेखापरीक्षा ने देखा कि नामे के पंजीयन के पूर्व विभाग के पास भूमि की वर्तमान सर्किल दरें उपलब्ध होने के बावजूद उप पंजीयकों ने यह संज्ञान लिए बिना कि भूमि की दरें सही है अथवा नहीं, न्यून दरों पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस उदग्रहित की।

अत: विभाग द्वारा एक समान रूप से सही दरें लागू करने एवं अवनिर्धारण का पता लगाने हेतु आंतरिक नियंत्रण में विफल रहने के कारण ₹ 2.88 करोड़[55] के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस (₹ 2.05 करोड़ का स्टाम्प शुल्क, ₹ 0.83 करोड़ की पंजीयन फीस) की अल्प वसूली हुई।

विभाग ने बताया (सितम्बर व नवम्बर 2019 के मध्य) कि दो उप पंजीयकों ने ₹ 4.76 लाख[56] राशि की वसूली की तथा उप-पंजीयक, निचार द्वारा जल विद्युत परियोजना को पट्टे पर दी गई भूमि का बाजारी मूल्य प्रचलित सर्किल दरों के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार (मार्च 2016) भूमि को हिमाचल प्रदेश पट्टा अधिनियम के अनुसार ही पट्टे पर देना होगा। अत: हिमाचल प्रदेश पट्टा नियमानुसार भूमि का बाजारी मूल्य प्रचलित सर्किल दरों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

2.17.5 हिमरिस (हिमाचल रजिस्ट्रेशन इनफर्मेशन सिस्टम, हिमाचल पंजीयन सूचना प्रणाली)आईटी एप्लिकेशन

प्रशासन द्वारा परिभाषित वर्तमान दरों के आधार पर किए गए सही व उचित मूल्यांकन के माध्यम से सरकार के राजस्व के क्षरण को रोक कर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस के संग्रहण के बेहतर पर्यवेक्षण तथा सभी प्रकार के नामे (विलेखा) का पंजीयन करने की सुविधा प्रदान करने हेतु विभाग में *'हिमरिस'* (आईटी एप्लिकेशन) को प्रस्तुत किया गया। एकल खिड़की सेवा एवं तुरंत पंजीयन होने की सुविधा प्रदान करके, तथा सभी पार्टियों के फोटोग्राफ खींचकर तथा पहचान-पत्र प्रमाण के रूप में आधार संख्या का समावेश करके प्रतिरूपण, पेशेवर गवाह एवं परोक्षी पेश करने जैसी धोखाधड़ी की रोकथाम से नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने की परिकल्पना भी की गई थी। स्वत: संवीक्षा, मूल्यांकन एवं सहायक दस्तावेजों की जांच-पड़ताल के माध्यम से सभी विवेकाधिकारों को विभिन्न स्तरों से हटाते हुए प्रणाली की पारदर्शिता को भी बढ़ाया गया था। हिमरिस में सात मुख्य परिचालन तालिकाएं[57] थी जिनकी लेखापरीक्षा में नमूना-जांच की गई और उजागर हुआ, कि:-

---

55 बिलासपुर: नौ मामले: ₹ 3.21 लाख; डलहौजी: एक मामला: ₹ 0.26 लाख; देहरा: एक मामला: ₹ 1.80 लाख; हमीरपुर: तीन मामले: ₹ 0.29 लाख; इंदौरा: 13 मामले: ₹ 115.56 लाख; निचार: 11 मामले: ₹ 45.74 लाख; पालमपुर: तीन मामले: 0.62 लाख; थूरल: तीन मामले: ₹ 3.12 लाख; सैंज: एक मामला: ₹ 0.16 लाख; कुल्लू तीन मामले: ₹ 3.26 लाख; सुन्दर नगर: दो मामले: ₹ 1.07 लाख; शिमला (ग्रामीण): पांच मामले: ₹ 15.70 लाख; शिमला (शहरी): तीन मामले: ₹ 0.11 लाख; ठियोग: पांच मामले: ₹ 6.42 लाख; नाहन: दो मामले: ₹ 8.70 लाख; पावंटा साहिब: चार मामले: ₹ 3.03 लाख; रक्कड: दो मामले: ₹ 2.16 लाख; बद्दी: तीन मामले: ₹ 0.84 लाख; दाडलाघाट: दो मामले: ₹ 0.08 लाख; कण्डाघाट: पांच मामले: ₹ 2.33 लाख; नालागढ़: दो मामले: ₹ 2.68 लाख; सोलन: छ: मामले: ₹ 4.16 लाख; हरोली: दो मामले: ₹ 62.94 लाख; ऊना तीन मामले: ₹ 1.13 लाख व सांगला: दो मामले: ₹ 2.60 लाख

56 उप पंजीयक: रक्कड ₹ 2.16 लाख: एवं सांगला : ₹ 2.60 लाख

57 रेजमेन_डिटेल, सीआईवी मेन_डिटेल, सीआईवी रिसीप्ट_डिटेल, फी_डिटेल, रेजरिसीप्ट_डिटेल, सररिसीप्ट_डिटेल, रेजस्टाम्प_डिटेल

तालिका 2.5: हिमरिस एप्लिकेशन एवं उसके निष्कर्षों पर अवलोकन

क्रमांक	*टिप्पणी*	*निष्कर्ष*
1	*2*	*3*
1.	तालिका 'RegMain_detail' के डाटा से उजागर हुआ कि डेटाबेस में स्टाम्प शुल्क की मात्र 6 *प्रतिशत* की दर ही दिखाई दे रही थी। दूसरे कॉलम में, महिला क्रेता के *प्रतिशत* का अंश लिया गया था। अत: इसके आधार पर महिला क्रेताओं हेतु स्टाम्प शुल्क हस्तचलित प्रविष्टियों पर तीन या चार *प्रतिशत* की दर से संगणित की गई थी।	एप्लिकेशन स्टाम्प शुल्क की लागू की जाने वाली सही दरों को दर्शाने की लिए लैंगिक जानकारी का संकलन डेटाबेस में नहीं करती है। हस्तचलित हस्तक्षेप के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि महिला के *प्रतिशत* का अंश भरा गया है एवं उसे ही नामे के अनुसार लिया गया है तथा स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की गलत गणना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सका।
2.	'Regyear' तालिका में चार केरेक्टरों (संप्रतीत) तक का (वर्ण/अंक) डेटा भरा जा सकता है तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि एक मामले में 'शून्य' मान दिखाई दिया।	डेटा मान्यकरण के अभाव में डेटाबेस में अमान्य पंजीयन वर्ष लिया गया जो पंजीयन वर्ष के संदर्भ में विश्वसनीय जानकारी प्रदान नहीं कर सकता।
3.	सॉफ्टवेयर हस्तांतरित भू-भाग के क्षेत्रफल की मूल इकाई का नहीं दर्शा रहा था। यह केवल वर्ग किलोमीटर में ही दर्शा रहा था जबकि नामे में भू-भाग के क्षेत्रफल को नापने के लिए विभिन्न इकाईयां दी गई थी (बीघा-बिस्वा, हेक्टेयर-सेन्टियर, कनाल-मरला इत्यादि) तथा सर्किल दरें भी प्रति बीघा/वर्गमीटर पर तय की गई थी।	सॉफ्टवेयर में भरे गए भू-भाग के क्षेत्रफल एवं मूल इकाई की अनुपलब्धता के कारण यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि भू-भाग का क्षेत्रफल जो वर्गमीटर में बदलने के बाद प्रणाली में भरा गया एवं संकलित किया गया वह नामें दस्तावेज के समान है।
4.	सम्पत्ति के विवरण भरते समय भू-अभिलेख विवरण जैसे खसरा संख्या, खाता संख्या व खतौनी संख्या इत्यादि 'हिमभूमि' के आनलाईन डेटा से सत्यापित करने हेतु कम्प्यूटर पटल (स्क्रीन) पर उपलब्ध थी परन्तु यह राजस्व विभाग की सर्किल दरें एप्लिकेशन से जुड़ी नहीं थी।	सॉफ्टवेयर में सम्बन्धित सर्किल दरों की गणना एवं जिले की सर्किल दरों से सह-सम्बन्ध के प्रावधान के अभाव में संरचना के बाजारी मूल्य अथवा मानी गई राशि की प्रति-जांच नहीं की जा सकी जो स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली में परिणत हुई।
5.	डेटाबेस की संवीक्षा से उजागर हुआ कि कुछ मामलों में कार्य-सम्पादन (ट्रांसेक्शन) की तिथि व समय कार्यालयीन समय के बाद का था जैसे प्रात: 6:27, प्रात: 6:43 व प्रात: 8:16 जबकि राज्य सरकार के कार्यालयों का कार्यालयीन समय प्रात: 10:00 बजे से प्रारम्भ होता है।	अत: इसके कारणों का पता नहीं लगया जा सका कि वह एप्लिकेशन एक्सेस (चलाने) करने में डेटा सुरक्षा का मुद्दा या अथवा सिस्टम (कम्प्यूटर, मोबाइल अथवा एप्लिकेशन जिस भी साधन पर चलाई जा रही हो) का मुद्दा। क्योंकि यह वेब एप्लिकेशन नहीं थी तथा स्वतंत्र मशीनों पर ही परिचालित की जा सकती थी। दर्शाया गया समय कार्य-सम्पादन (ट्रांसेक्शन) की यथार्थता के सम्बन्ध में संदेह उत्पन्न करता है।

सरकार विभाग को अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं के प्रावधानों का कठोरता से पालन करने, बिक्री/पट्टा-नामा पंजीकृत करने के पूर्व दूरी का सत्यापन करने तथा हिमरिस को अन्य कम्प्यूटरीकृत एप्लिकेशनों (हिमाचल प्रदेश सर्किल दर, समायोजन तथा हिमभूमि) से जोड़ने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करें।

2.18 बाजारी मूल्य के गलत निर्धारण के कारण पट्टा राशि, स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली

विभाग द्वारा सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य के गलत निर्धारण के फलस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ तक के पट्टे-किराए, स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली हुई।

हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 के तहत् राज्य के विकास के उद्देश्यार्थ सरकारी भूमि को निजी कम्पनियों/व्यक्तियों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु पट्टे पर दिया जा सकता है। पट्टेदार से प्रति वर्ष चालू सर्किल दर के 10 *प्रतिशत* की दर से पट्टा राशि प्रभारित की जाएगी। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची I-ए के अनुच्छेद 35 में प्रावधान है कि जहां सौ वर्षों तक के लिए अथवा सौ

वर्षों से अधिक के लिए पट्टे पर दिया गया है, वहां पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजारी मूल्य के 5 *प्रतिशत* की दर से स्टाम्प शुल्क इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा कि वह कम से कम सौ रूपए हो एवं शुल्क के निकटतम दस रूपए के पूर्णांक में हो। इसके अतिरिक्त, पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजारी मूल्य की जिस राशि पर हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना, दिनांक 12 जनवरी 2012 के नियमानुसार स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया है, उसी राशि पर दो *प्रतिशत* की दर से पंजीयन फीस प्रभारित की जाएगी।

i). उप-पंजीयक, निरमंड (कुल्लू) के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2018) में पाया गया कि एक पट्टेदार को जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए 60-09-00 बीघा नाप की सरकारी भूमि के हस्तांतरण की संस्वीकृति 40 वर्षों के लिए प्रदान की गई (मार्च 2015)। सरकारी भूमि का बाजारी मूल्य ₹ 3.10 करोड़ निकला एवं जैसा कि उक्त नियम के तहत् विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था, वर्ष की प्रचलित बाजारी दरों पर दस *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से पट्टा राशि ₹ 30.97 लाख पर तय की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार वर्ष 2014-15 से 2018-19 हेतु पट्टेदार से ₹ 1.55 करोड़ की पट्टा राशि चुकाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि संस्वीकृति पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि पट्टा राशि चालू सर्किल दरों की 10 *प्रतिशत* की दर से प्रभारित होगी जबकि विभाग ने ₹ 30.97 लाख प्रति वर्ष के बजाय ₹ 9.73 लाख की गलत पट्टा राशि निर्धारित की। पट्टेदार ने 2014-15 के दौरान ₹ 9.73 लाख चुकाए एवं तदोपरांत पट्टा राशि का न तो पट्टेदार ने भुगतान किया न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.45 करोड़ की पट्टा धनराशि की अल्प वसूली हुई।

ii). संवीक्षा में आगे पाया गया कि उप-पंजीयकों ने इन दस्तावेजों का पंजीयन करते समय उक्त अधिनियम के तहत् पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के प्रचलित बाजारी मूल्य (₹ 3.10 करोड़) पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का उद्ग्रहण नहीं किया। पट्टे पर दी गई भूमि पर ₹ 8.67 लाख का स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस उद्ग्रहण योग्य थी जिसके प्रति पट्टेदार ने मात्र ₹ 0.27 लाख का ही भुगतान किया जो ₹ 8.40 लाख कम था। अत:, पट्टा नियमों के प्रावधानों की अनुपालना न करने एवं भूमि की प्रयोज्य सर्किल दरों का सत्यापन अथवा समीक्षा करने का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ (₹ 1.45 करोड़ + ₹ 8.40 लाख) के राजस्व की अल्प वसूली हुई।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2020) कि मामला जिला आयुक्त कुल्लू को भू-राजस्व बकाया के रूप में राशि की वसूली हेतु भेज दिया गया है। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि मामले की उसके स्तर पर जांच की जा रही है।

सरकार राजस्व की सुरक्षा के लिए सम्पत्तियों के सही बाजार मूल्य के निर्धारण करने के लिए अधिनियमों/नियमों/अधिसूचना के प्रावधानों का कठोरता से पालन करने के लिए विभाग को निर्देश जारी कर सकती है।

वाहन, यात्री एवं माल कर

लेखापरीक्षा योग्य 91 इकाइयों मेंसे वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 370.55 करोड़ की प्राप्ति वाली 46 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना-जांच में टोकन कर, विशेष पथ कर, पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क, कन्डक्टर लाइसेंस शुल्क, राष्ट्रीय परमिट योजना के तहत् शास्ति व समग्र शूल्क से सम्बन्धित कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के 411 मामलों में ₹ 86.87 करोड़ अन्तर्ग्रस्त पाए गए।

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने पूर्व वर्षो के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 24 मामलों में ₹ 38.56 लाख तथा 2018-19 के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित 349 मामलों में ₹ 34.92 लाख के राजस्व निहितार्थ से युक्त अव निर्धारणों तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया। पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षो से सम्बन्धित 24 मामलों में ₹ 22.24 लाख की प्राप्ति हुई।

वित्तीय निहितार्थ से युक्त ₹ 12.73 करोड़ के चार मामलों पर अनुवर्ती परिच्छेदों 2.19 से 2.22 में चर्चा की गई हैं:

2.19 टोकन कर की अवसूली

वर्ष 2015-18 के दौरान 21,107 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 7.72 करोड़ का टोकन कर न तो विभाग द्वारा मांगा गया न ही व्यवसायिक वाहन मालिकों द्वारा चुकाया गया।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कर अधिनियम, 1972 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित कर की दरों[58] के अनुसार टोकन कर[59] वाहन मालिकों द्वारा त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर अग्रिम रूप से देय है। यदि निर्धारण अवधि में वाहन मालिक कर अदा करने में विफल रहता है तो तब वाहन मालिक देय कर पर 25 *प्रतिशत* वार्षिक की दर से जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है।

2018-19 के दौरान, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 की अवधि हेतु 30 पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण (पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी) और 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी) में 30,868 व्यावसायिक वाहनों से सम्बन्धित मांग व संग्रह रजिस्टर एवं *वाहन डेटाबेस* की नमूना जांच की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 27 पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी[60] और 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी[61], में 21,107 व्यवसायिक वाहनों (68.38 *प्रतिशत*) के मालिकों ने 2015-16 से 2017-18 की अवधि हेतु ₹ 7.72 करोड़ का टोकन कर नहीं चुकाया। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चल सके कि ये वाहन उपयोग नहीं किये जा रहे थे। वाहन सॉफ्टवेयर में मोटर वाहनों के कर एवंशास्ति का भुगतान नहीं करने वाले बकायादारों की, यदि कोई हो, सूची तैयार करने का प्रावधान है। तथापि, सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीतथापंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी वाहन सॉफ्टवेयर में देने की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद बकाया कर की वसूली नहीं कर सके।

सॉफ्टवेयर सुविधा होने के बावजूद, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी ने बकायादारों से ₹ 7.72 करोड़ का कर तथा 21107 वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों से ₹ 1.93 करोड़ कीशास्ति वसूलने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किएजैसा की नीचे वर्णित है:

---

58 देयकर **(सामान ढुलाई)** एल.जी.वी. 1500 प्रतिवर्ष, एम.जी.वी. 2,000 प्रतिवर्ष, एच.जी.वी. 2,500 प्रतिवर्ष, **(स्टेजकैरिज):** 500 प्रति सीट प्रति वर्ष और **(अनुबन्ध ढुलाई):** मैक्सीकैब: 750 प्रति सीट प्रतिवर्ष, मोटरकैब: 350 प्रतिवर्ष प्रति सीट और **ऑटोरिक्शा:** 200 प्रति सीट प्रतिवर्ष

59 हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा-3 के अनुसार निर्दिष्ट दर पर, अनुसूची-। के कॉलम 2 में वर्णित हिमाचल प्रदेश में उपयोग किए गए या उपयोग के लिए रखे गए मोटर वाहनों पर वार्षिक कर लगाया जाएगा और राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा।

60 **पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी:** अनी, अम्ब, अर्की, भरमौर, बैजनाथ, भोरंज, बिलासपुर, चौपाल, चुवाड़ी, चुराह, देहरा, घुमारवीं, जोगिन्दर नगर, कारसोग, कांगड़ा, काजा, मनाली, मण्डी, नादौन, निचार, पालमपुर, परवाणू, पूह, राजगढ़, रोहडू, सरकाघाट और शिमला

61 **क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी:** बिलासपुर चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर और ऊना

तालिका: 2.6 उन वाहनों का विवरण जिन से टोकन कर की वसूली नहीं की गई

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी	पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.एल.ए./आर.टी.ओ.)	अवधि	वाहनों की कुल संख्या	कर का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों की संख्या	वसूली योग्य राशि (करोड़ में)
1.	**(निर्माण वाहन)** क्रेन, रिकवरी वैन आदि।	**आर.एल.ए.** - आनी, अर्की, बिलासपुर चौपाल, मंडी, नादौन, राजगढ़ और शिमला	2015-16 से 2017-18	395	190	0.26
		आर.टी.ओ.- बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सोलन और ऊना		786	398	0.36
	योग (क)			**1,181**	**588**	**0.62**
2.	**(यात्री वाहन)** बसें/मिनीबसें/ मैक्सी कैब/ टैक्सी	**आर.एल.ए.**- अम्ब, अर्की, बिलासपुर, चुराह, देहरा, घुमारवीं, जोगिंद्र-नगर, कांगड़ा, निचार, पालमपुर, रोहडू, सरकाघाट और शिमला		1,148	358	0.63
		आर.टी.ओ.- बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला, सोलन और ऊना		6,156	4,187	2.42
	योग (ख)			**7,304**	**4,545**	**3.05**
3.	**(माल वाहन)** भारी/मध्यम/हल्के माल वाहन/ट्रैक्टर	**आर.एल.ए.**- आनी, अम्ब, अर्की, भरमौर, बैजनाथ, भोरंज, बिलासपुर, चौपाल, चुवाड़ी, चुराह, देहरा, घुमारवीं, जोगिन्द्र नगर, कारसोग, कांगड़ा, काजा, मनाली, मण्डी, नादैन, निचार, पालमपुर, परवाणू, पूह, राजगढ़, रोहडू, सरकाघाट और शिमला।		11,791	7,612	2.49
		आर.टी.ओ.- बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला और सोलन		10,592	8,362	1.56
	योग (ग)			**22,383**	**15,974**	**4.05**
	कुल योग (क)+(ख)+(ग)			**30,868**	**21,107**	**7.72**

वर्ष 2004-2005 से 2017-18 के लेखापरीखा प्रतिवेदनों में इसी तरह की टिप्पणियां इंगित की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा विगत 15 वर्षों से बारम्बार इंगित किए जाने पर भी ऐसी अनियमितताएं जारी रहने पर विभाग जाँच के लिए कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा।

इंगित किए जाने पर, पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी करसोग ने बताया (जून 2020) ₹ 2.18 लाख में से ₹ 50,750/- की राशि की वसूली कर ली गई है।

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा पांच पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा ₹ 47.69 लाख की वसूली की गई थी। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2020)।

सरकार अधिनियम/नियमों या अधिसूचनाओं के प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन करने हेतु विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करें।

2.20 आबकारी एवं कराधान विभाग में व्यवसायिक वाहनों का पंजीयन न होना

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के बीच समन्वय की कमी के कारण, व्यवसायिक वाहनों के मालिकों ने सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान कार्यालयों में अपने वाहनों को पंजीकृत नहीं कराया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.38 करोड़ के यात्री एवं मालकर की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1955 के तहत् स्टेज/संविदा गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के मालिकों से सम्बन्धित आबकारी एवं कराधान कार्यालयों में उनके वाहनों को पंजीकृत करना तथा निर्धारित दरों पर यात्री व माल कर का भुगतान करना अपेक्षित है। वाहन पंजीयन, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों एवं पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा यात्री व माल कर का संग्रह विभिन्न आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आबकारी विभाग द्वारा जारी मान्य पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना कोई वाहन राज्य में नहीं चलाया जाएगा। यदि वाहन मालिक पंजीयन हेतु आवेदन करने अथवा कर या अधिशुल्क का भुगतान करने में विफल होता है, तो न्यूनतम ₹ 500 से निर्धारित कर राशि की पांच गुणा तक शास्ति उद्ग्रहित की जानी है।

6 आबकारी एवं कराधान आयुक्तों जिनमें कुल 40,215 व्यवसायिक वाहनों के अभिलेखों, की संवीक्षा में पाया गया कि 6 पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी[62] एवं पांच क्षेत्रिय परिवहन कार्यालयों[63] में 10,476 में से 4,489 व्यवसायिक वाहन 2016-17 से 2017-18 के दौरान पंजीकृत किए गए थे जो हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियमानुसार सम्बन्धित 6 आबकारी एवं कराधान आयुक्तों[64] में पंजीकृत नहीं थे। संवीक्षा में आगे उजागर हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/आबकारी एवं कराधान अधिकारियों तथा सम्बन्धित पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के मध्य आपसी समन्वय सुनिश्चित करने अथवा आबकारी एवं कराधान विभाग में सभी व्यवसायिक वाहनों का पंजीयन करने हेतु कोई तंत्र नहीं था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा विगत दो वर्षों से ऐसी चूकें इंगित किए जाने के बावजूद नवीन पंजीकृत वाहनों का यात्री व माल कर की परिधि में लाने में विभाग की विफलता इन वाहनों के मालिकों से ₹ 2.38 करोड़ राशि के यात्री व माल कर की अवसूली में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त न्यूनतम ₹ 22.44 लाख की शास्ति उद्ग्रहित की जानी भी अपेक्षित थी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

62 **पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी:** अर्की , कण्डाघाट, नालागढ़, परवाणू, राजगढ़ तथा सोलन।

63 **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी:** बिलासपुर, कागंड़ा, सिरमौर, शिमला तथा सोलन।

64 **सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त:** बद्दी, बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन व सोलन।

तालिका 2.7: उन वाहनों का विवरण जो आबकारी एवं कराधान विभाग में पंजीकृत नहीं थे

							₹ लाख में
क्रमांक	**वाहन के प्रकार**	**आर.एल.ए./ आर.टी.ओ. के साथ पंजीकृत वाहनों की संख्या**	**आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ पंजीकृत नहीं किए गए वाहनों की संख्या**	**वसूली योग्य राशि**			
				यात्रीकर	**माल कर**	**वसूली योग्य कुल राशि**	**न्यूनतम शास्ति @500/- प्रतिवाहन**
1.	**यात्री वाहन** (मैक्सी कैब्स/टैक्सी)	3,164	1,044	32.21	--	32.21	5.22
2.	**यात्री वाहन** (शैक्षिक संस्थागत बसें)	300	121	12.56	--	12.56	0.60
3.	**माल वाहन** (भारी/मध्यम/हल्के माल वाहन)	7,012	3,324	--	193.51	193.51	16.62
योग		**10,476**	**4,489**	**44.77**	**193.51**	**238.28**	**22.44**
						लगभग ₹ 2.38 करोड़	

स्त्रोत: विभागीय आंकड़े

विभाग ने बताया (जून 2020) कि छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 1022 व्यावसायिक वाहन मालिकों से ₹ 44.95 लाख {यात्रीकर ₹ 9.66 लाख +माल कर ₹ 26.49 लाख +यात्रीकर (शैक्षिक संस्थागत बसें) ₹ 8.79 लाख} की वसूली की थी परन्तु विवरणों तथा सहायक दस्तावेजों के अभाव में विभाग द्वारा वसूली गई राशि लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशा-निर्देश दिए गए है।

सरकार,यात्री एवं माल कर के उद्ग्रहण हेतु पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा आबकारी और कराधान कार्यालय के मध्य व्यावसायिक वाहनों की सूचना साझा करने अथवा *वाहन* एवं हिमाचल प्रदेश कर प्रशासन सिस्टम *(हिमटास)* को परस्पर जोड़ने पर विचार करें।

2.21 यात्री एवं माल कर की अवसूली

₹ 1.97 करोड़ राशि के यात्री व माल कर का न हो 2,472 वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों ने भुगतान किया न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई।

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1955 के तहत, वाहन मालिकों को सभी किराए एवं भाड़े पर निर्धारित दरों पर यात्रियों एवं मालकर का भुगतान त्रैमासिक या वार्षिक रूप से करना अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1957 में यह प्रदान करता है कि वाहन मालिक उस अवधि के लिए जिसके दौरान वाहन उपयोगी नहीं रहा, कर के भुगतान से छूट हेतु सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे। यदि मालिक द्वारा कोई राशि बकाया है, तो निर्धारण प्राधिकारीवाहन मालिक को कर भुगतान के प्रमाण के रूप में चालान की रसीद प्रस्तुत करने के लिए नोटिस देगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिरोपित कोई बकाया अथवा शास्ति की उक्त अधिनियम के तहत् भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली की जाएगी।

पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में कुल 17,750 वाहन पंजीकृत किए गए जिसमें से 8,230 वाहनों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, पांचों सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा अनुरक्षित मांग व संग्रह रजिस्टर की

संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2016-17 से 2017-18 की अवधि हेतु 2,472 वाहनों[65] के सम्बन्ध में ₹ 1.97 करोड़ राशि का यात्री व माल कर इन व्यवसायिक वाहनों के मालिकों द्वारा नहीं चुकाया गया जो आबकारी एवं कराधान विभाग में पहले से पंजीकृत थे। वाणिज्यक वाहन मालिकों ने भी कर अवधि के दौरान वाहनों का उपयोग न होने पर कर से छूट की मांग नहीं की थी। निर्धारण प्राधिकारी ने न तो मालिकों को डिमांड (मांग) नोटिस जारी किया न ही बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु मामलों को कलेक्टर को भेजा जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 2.8: उन वाहनों का विवरण जिनसे यात्री एवं मालकर वसूला नहीं गया था

(₹ लाख में)

क्र. स.	वाहन की श्रेणी	यात्री व माल कर का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों की संख्या (नमूना जांचित)	वसूली योग्य राशि			
			यात्रीकर	मालकर	वसूली योग्य कुल राशि	500/- प्रत्येक वाहन की दर सेन्यूनतम जुर्माना
1.	**यात्री वाहन** (मैक्सी कैब्स/टैक्सी)	613(2172)	44.98	-	44.98	3.07
2.	**यात्री वाहन** (शैक्षिक संस्थागत बसें)	30(96)	4.50	-	4.50	0.15
3.	**माल वाहन** (भारी/हल्के/हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	1,829(5962)	-	147.81	147.81	9.15
योग		**2,472 (8,230)**	**49.48**	**147.81**	**197.29**	**12.37**
						लगभग 1.97 करोड़

इस प्रकार, आन्तरिक नियंत्रण, पर्यवेक्षण के अभाव तथा देय कर के निर्धारण हेतु नियमित समीक्षा संचालित न करना दर्शाता है कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास करदाताओं से संग्रहित कर एवं देय कर की राशि का सत्यापन करने के लिए प्रभावी तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा विगत पांच वर्षों से ऐसी समान चूकें इंगित कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ के यात्री व माल कर की वसूली नहीं हुई।

इंगित किए जाने पर, पांच सहायक एवं आबकारी कराधान आयुक्त ने बताया (सितम्बर 2018 व नवम्बर 2018 के मध्य) कि यात्री माल कर के भुगतान के लिए बकाएदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं जबकि आबकारी एवं कराधान उपायुक्त चम्बा ने कोई जवाब नहीं दिया है।

सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) को त्वरित आवश्यक कार्रवाई हेतुदिशा-निर्देश दिए गए है।

सरकार, यात्री एवं माल कर के उद्ग्रहण हेतु पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा आबकारी और कराधान कार्यालय के मध्य व्यवसायिक वाहनों की सूचना साझा करने अथवा वाहन एवं हिमाचल प्रदेश कर प्रशासन सिस्टम *(हिमटास)* को परस्पर जोड़ने पर विचार करें।

[65] बद्दी: 355 वाहन: ₹ 35.03 लाख, बिलासपुर: 393 वाहन, ₹ 23.18 लाख, सोलन: 577 वाहन, ₹ 46.98 लाख, नाहन: 85 वाहन: ₹ 5.93 व शिमला: 1,062 वाहन, ₹ 86.17 लाख

2.22 ग्रीन टैक्स (हरित कर) तथा उपकर की अवसूली

वर्ष 2017-18 हेतु 4,417 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 40.90 लाख के ग्रीन टैक्स तथा ₹ 25.15 लाख को उपकर की विभाग द्वारा मांग नहीं की गई।

परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने व्यवस्थित व सुरक्षित यातायात एवं सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने तथा पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से 21 फरवरी 2017 की अधिसूचना के माध्यम में हिमाचल प्रदेश परिवहन अवसंरचना विकास निधि निर्मित की। हरित कर (ग्रीन टैक्स) तथा उपकर हिमाचल प्रदेश परिवहन अवसंरचना विकास निधि उपार्जित करने वाले स्त्रोतों में से एक हैं। इसके अतिरिक्त, 28 मार्च 2017 की अधिसूचना, हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1972 की धारकों 3 व 3 (ए) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों हेतु 10 *प्रतिशत* व 5 *प्रतिशत* की दर से एक बार में एक मुश्त भुगतान करने वाले वाहनों पर तथा एक बार में एक मुश्त भुगतान नहीं करने वाले वाहनों पर क्रमश: निर्धारित करती है। यह दरें 1 अप्रैल 2017 से लागू थी। विभिन्न कर की दरें तथा उपकर का उदग्रहण कम्प्यूटरीकृत है तथा यह परिवहन विभाग द्वारा विकसित किए गए *वाहन सॉफ्टवेयर* के माध्यम से संग्रहित किया जाता है।

11 पंजीयन एवं अनुज्ञापन तथा पांच क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के ***VAHAN*** *(वाहन)* सॉफ्टवेयर में अनुरक्षित ग्रीन टैक्स तथा उपकर से सम्बन्धित आंकड़ों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मई 2018 से मार्च 2019 के मध्य) सेउजागर हुआ कि अधिसूचना में उल्लेखित ग्रीन टैक्स तथा उपकर को सम्मिलित करने हेतु वर्ष 2017-18 के दौरान ***VAHAN*** *(वाहन)* सॉफ्टवेयर को एक महीने से अधिक के लिए अद्यतन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2017 से 21 मई 2017 तक, 4,417 वाहनों को,पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया था; यथापि, सम्बन्धित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी ने इस अवधि के दौरान, अधिसूचना पहले से ही जारी होने के बावजूद, मैन्युअल रूप से ग्रीन टैक्स तथा उपकर का उदग्रहण नहीं किया था। परिणामस्वरूप विभाग द्वारा ₹ 66.05 लाख[66] (₹ 40.90 लाख व ₹ 25.15 लाख) ग्रीन टैक्स तथा उपकर का उदग्रहण नहीं हुआ। वाहन सॉफ्टवेयर के अद्यतन (अपडेट) होने के बाद भी अभिलेखों में यह दर्शाने के लिए कोई प्रमाण नहीं था कि पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरणों एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों ने प्रयोग्य ग्रीन टैक्स तथा उपकर की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की है।

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि एक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीतथा चार पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा ₹ 6.50 लाख की राशि की वसूली की गई थी। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2020)।

सरकार विभाग को अधिसूचनाओं अथवा अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों का पालन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करें। इसके अतिरिक्त कर शुल्कों इत्यादि के प्रबंधन हेतु प्रयोज्य दरों/नियमों में आए सभी परिवर्तनों को आई0 टी0 सॉफ्टवेयर में तुरन्त मानचित्रण (मैपिंग) विकसित करें।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना जांच पर अधारित है विभाग एसे समान मामलों की विस्तृत जाच करें तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें।

---

66 **आरटीओ:** हमीरपुर: ₹ 1.20 लाख, कुल्लू: ₹ 4.12 लाख, नाहन: ₹ 1.02 लाख, शिमला: ₹ 6.16 लाख व सोलन: ₹ 2.90 लाख **आरएलए:** अम्ब: ₹ 5.24 लाख, अर्की: ₹ 3.22 लाख, बिलासपुर: ₹ 4.26 लाख, देहरा: ₹ 5.44 लाख, जोगिन्द्र नगर: ₹ 1.94 लाख, कांगडा: ₹ 7.04 लाख, मण्डी: ₹ 7.22 लाख, पालमपुर: ₹ 9.01 लाख, परवाणू: ₹ 1.88 लाख, राजगढ़: ₹ 2.57 लाख व सरकाघाट: ₹ 2.83 लाख

वन प्राप्तियां

वर्ष 2018-19 के दौरान वन प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा योग्य 37 इकाइयों में से ₹ 14.15 करोड़ की प्राप्तियों से युक्त 15 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि 64 मामलों में ₹ 18.77 करोड़ से अंतर्ग्रस्त रॉयल्टी की अवसूली/ अल्प वसूली, ब्याज/विस्तार फीस का उदग्रहण न करना, जब्त की गई लकड़ी के निपटान न करने के कारण राजस्व का अवरोधन/ हानि तथा अन्य अनियमितताएं थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने छः मामलों में ₹ 33.28 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिनमें से छः मामलों में ₹ 25.06 लाख की वसूली की गई थी जो विगत वर्षों की लेखापरीक्षा निष्कर्षो से सम्बन्धित थी।

₹ 32.19 करोड़ राशि से अंतर्ग्रस्त महत्वपूर्ण मामलों पर अनुवर्ती परिच्छेदों 2.23 से 2.25 में चर्चा की गई है:

2.23 रेजिन एवं लकडी पर रॉयल्टी का उदग्रहण तथा संग्रहण

लकड़ी के दोहन व रेजिन के निःस्त्रवण पर रॉयल्टी का दावा न करने एवं रॉयल्टी का विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज का दावा न करने; चीड़ वृक्षों की स्थाई एवं विश्वसनीय सूची का अनुरक्षण न करने के कारण रेजिन निःस्त्रवण हेतु कम चीड़ वृक्षों को सौंपने से, लकड़ी के दोहन में निगम की विफलता तथा विभाग द्वारा पर्यवेक्षण में कमी; रॉयल्टी दरों में कटौती; विभाग द्वारा विस्तार फीस का अनुदग्रहण; ₹ 31.70 करोड़ के राजस्व की अवसूली में परिणत हुआ।

2.23.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश में 15,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन फैले हुए है जो इसके कुल क्षेत्रफल का 27.12[67] *प्रतिशत,* (55,673 वर्ग किलोमीटर) है। यह वन विभाग का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह वृक्षारोपण गतिविधियों सहित इन वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन तथा चिरस्थायी तरीकों से इन वनों का प्रबंधन करें। वनों की प्राप्तियों का प्रबन्धन भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2004 एवं 2014 तथा सांविधिक रूप से गठित "मूल्य निर्धारण समिति" की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों द्वारा शासित किया जाता है। वन प्राप्तियों का मुख्य स्त्रोत निगम से प्राप्त रेजिन[68]लकड़ी की बिक्री पर रॉयल्टी विस्तार शुल्क, क्षति बिल इत्यादि है।

2.23.2 रॉयल्टी का उद्ग्रहण एवं संग्रह प्रणाली

वनों का दोहन एक मात्र संस्था हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम, द्वारा किया जाता है। जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत नियमित किया गया था (मार्च 1974), विभाग वन में क्षेत्रवार एवं श्रेणीवार निस्तारित (मृत एवं टूटे हुए) वृक्षों की पहचान करता है तथा इन चिन्हित वृक्षों का निरीक्षण संयुक्त रूप से विभाग तथा निगम द्वारा किया जाता है। उसके बाद वृक्षों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार की जाती है। विभाग (वन मंडल अधिकारी) द्वारा भेजी गई चिन्हित सूचियां व निगम (मण्डलीय प्रबन्धक) द्वारा स्वीकार की गई जो चिन्हित वृक्षों की आयतन के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा जो प्रत्येक खेप के लिए पट्टा अवधि को दर्शाता है। पट्टे की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात खेप विभाग को वापस सौंपे जाते हैं। निगम से निस्सारण कार्यों को अनुमत अवधि के भीतर पूरा करना अपेक्षित है। कुल रॉयल्टी के 0.2 *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर से विस्तार शुल्क के भुगतान जो कि अप्रैल 2007 से प्रभावी है, करने पर निगम समयावधि में विस्तार की मांग कर सकता है। निगम लकड़ी का निष्कर्षण करके उसे बेचता है तथा उसके एवज में राज्य सरकार की मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर पर रॉयल्टी का भुगतान करता है। लकड़ी तथा रेजिन ब्लेजों पर चुकाई जाने वाली रॉयल्टी विगत वर्ष में प्राप्त लकड़ी / रेजिन की औसत बिक्री दर के आधार पर मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। इसी भांति, निःस्त्रवण योग्य चीड़ के वृक्ष (1.2 मीटर परिधि/व्यास 35 से0मी0 एवं अधिक) प्रत्येक वर्ष निगम को निस्सरण हेतु दिए

---

67 स्त्रोत: राज्य वन प्रतिवेदन - हिमाचल प्रदेश 2017

68 चीड वृक्ष अच्छी गुणवत्ता वाले ओलियो रेजिन का उत्पादन करता है जो स्टेम डिस्टिलेशन पर दो औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों अर्थात तारपीन तेल (लगभग 70 *प्रतिशत*) और रेजिन (लगभग 17 *प्रतिशत*) उत्पन्न करता है। रेजिन का कई उद्योगों में साबुन, कागज, पेंट व वार्निश, सीलिंग वैक्स, आईल कलोथ, स्याही व किटाणुनाशक बनाने में उपयोग किया जाता है। तारपीन का उपयोग मुख्य रूप से पेंट, वार्निश, पॉलिश, रसायन व फार्मास्यूटिकल्स की तैयारी में किया जाता है।

जाते है तथा रॉयल्टी का भुगतान मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित प्रति ब्लेज[69]रॉयल्टी के आधार पर नियम द्वारा विभाग को किया जाता है। दोहन हेतु लिए गए वृक्षों (रक्षित इमारती लकड़ी निकालने के लिए व रेजिन के निस्सारण दोनों के लिए) हेतु रॉयल्टी निगम द्वारा दो से दस किस्तों में विभाग को चुकानी अपेक्षित है, जो खेपों की कार्य-अवधि पर आधारित होती है। किस्तों का भुगतान करने में हुए विलम्ब पर 7.5 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज को आकर्षित करता है जो 2013-14 से प्रभावी है।

2.23.3 संगठनात्मक ढांचा

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) सरकारी स्तर पर प्रशासन प्रमुख होता है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल जो कि वन फोर्स का प्रमुख हैं, विभाग का प्रमुख होता हैं। उसे दो प्रधान मुख्य अरण्यपाल, नौ अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल तथा दस वन संरक्षक सहयोग प्रदान करते है। प्रत्येक वन संरक्षक अपने नियंत्रणाधीन 37 वन मंडलोंमें वन मण्डल अधिकारियों के माध्यम से वन के दोहन एवं पुनरूत्पादन की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

निगम के मामलों का प्रबन्ध निदेशक मंडल द्वारा प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से किया जाता है जिसे कार्यकारी निदेशक वित्तीय सलाहकार, कम्पनी सचिव तथा तीन निदेशकों (उत्तर, दक्षिण एवं विपणन) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। निगम में 12 कार्यकारी वन मण्डल है तथा आठ हिमकाष्ठ बिक्री डिपो है जिनका प्रबन्धन डिपों प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि को सम्मिलित किया था। 37 में से 10[70] मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई।

2.23.4 रॉयल्टी एवं रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर ब्याज का दावा न करना

2.23.4.1 रेजिन

मूल्य निर्धारण समिति प्रारम्भिक स्तर पर रॉयल्टी की अस्थाई दरें निर्धारित करता है जिनका बाद में संशोधन अंतिम रॉयल्टी दरों के रूप में किया जाता है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल द्वारा जारी (2005) दिशा निर्देश जो कि निगम की वन सम्बन्धी कार्यव्यवस्था से संबन्धित है के अनुसार रेजिन रॉयल्टी का भुगतान सम्बन्धित नि:स्त्रवण वर्ष में 15 सितम्बर तथा 15 दिसम्बर तक दो बराबर किस्तों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त मूल्य निर्धारण समिति के निर्णयानुसार (सितम्बर, 2013) निगम द्वारा शेष राशि का भुगतान/समायोजन मूल्य निर्धारित समिति द्वारा अंतिम रॉयल्टी दरों को तय करने के 30 दिनों के भीतर किया जायेगा।

मूल्य निर्धारित समिति ने अपनी बैठक (जनवरी 2019) में निर्णय लिया कि निगम रॉयल्टी के विलम्बित भुगतान पर वर्ष 2013-14 से 7.5 *प्रतिशत* की दर से भुगतान करेगा। 90 दिनों की रियायत अवधि अनुमत की गई है। परन्तु यदि भुगतान रियायत अवधि के बाद किया जाता है तो निगम को रॉयल्टी के भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करना होगा।

नमूना जांचित पांच मण्डलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभाग ने नि:स्त्रवण के लिए निगम को 8,37,423 रेजिन ब्लेज वाले वृक्ष सौंपे जिन पर ₹ 5.16 करोड़ की रॉयल्टी देय थी (परिशिष्ट 2.3)। इसमें से निगम ने मार्च 2018 तक ₹ 2.97 करोड़ का भुगतान किया तथा ₹ 2.19 करोड़ मार्च 2018 तक बकाया थे। 31 मार्च 2018 तक रॉयल्टी के भुगतान में 54 से 784 दिनों तक का विलम्ब था। रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ₹ 38.53 लाख का उदग्रहण योग्य ब्याज भी 2013-14 से 2017-18 की अवधि हेतु विभाग द्वारा उदग्रहित नहीं किया गया।

वन मंडल अधिकारी ठियोग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा बताया (फरवरी 2020) कि बकाया रॉयल्टी एवं ब्याज के भुगतान के लिए निगम के साथ पत्राचार किया गया है। अन्य वन मंण्डलाधिकारियों द्वारा कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

---

69 ब्लेज चीड़ वृक्ष के आधार के पास लगाया गया कट है जो इसके आधार पर लगाऐ कप में रेजिन का संग्रह करते है। इस कट को पूरे नि:स्त्रवण मौसम में सप्ताह भर ताजा निकलता रहता है।

70 बिलासपुर, कोटगढ़, कुनिहार, मण्डी, पावंटा साहिब, रोहडू, सोलन, ठियोग तथा ऊना नमूने के लिए चुने गए। इसके अतिरिक्त कुल्लू मण्डल के अभिलेखों की भी नमूना जांच की गई।

2.23.4.2 लकड़ी

मूल्य निर्धारण समिति के निर्णयानुसार (सितम्बर 2007) लकड़ी की निस्तारित खेपों पर रायल्टी का भुगतान निचले भाग की खेपों हेतु पहली किस्त 20 मार्च एवं दूसरी किस्त 20 जून तक तथा उपरी भाग की खेपों हेतु 30 नवम्बर व 20 मार्च तक किया जाना या जो कि 2007-08 के बाद की खेपों के लिए लागू थी। रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर 7.5 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज उदग्रहित किया जाना भी अपेक्षित था जो 2013-14 से प्रभावी था।

नमूना-जांचित 12 मण्डलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि मार्च 2018 तक 382 निस्तारित खेपों पर ₹ 15.71 करोड़ की रॉयल्टी का निगम ने भुगतान नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 2.4)**। इसके अतिरक्त,चुकाई न गई/विलम्बित रायल्टी पर ₹ 2.27 करोड़ का ब्याज न तो विभाग द्वारा लिया गया न ही निगम द्वारा चुकाया गया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में बारम्बार इंगित किए जाने के बावजूद विभाग ने इन कमियों की समीक्षा नहीं की, जो मूल्य निर्धारण समिति के निर्णय लागू करने में या तो लापरवाही अथवा अकर्मण्यता का परिचायक है।

विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर 2020) कि निगम से रायल्टी व ब्याज का अंतिम भुगतान प्राप्त करने के लिए समाधान किया जा रहा है तथा बकाया राशि की मांग की जाएगी। सरकार ने सूचित किया (जुलाई, 2020) कि विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2.23.4.3 चीड़ वृक्षों की स्थाई एवं विश्वसनीय सूची तैयार न करना

वन नियमावली, खण्ड-IV के अनुसार प्रत्येक वृक्ष पर क्रमांक अंकित किया जाए तथा अनुमत ब्लेजों की संख्या को दर्शाया जाए। लेखापरीक्षा द्वारा वृक्षों की गलत गणना के कारण रेजिन नि:स्त्रवण से प्राप्त राजस्व को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित उदाहरणों को देखा गया:

- नमूना-जांचित सात[71] मण्डलों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वन नियमावली, खण्ड-IV के अनुसार वृक्ष संसाधनों के कुशल प्रबंधन हेतु यहां कोई तंत्र नहीं था। अरण्यपाल (बिलासपुर सर्कल) ने भी चीड़ वक्षों की स्थाई सूची प्रबंधन तथा रेजिन नि:स्त्रवण के संदर्भ में निर्धारित प्रारूप के अनुसार इसके आंकड़े कागजी प्रति (रजिस्टर में) एवं सॉफ्ट प्रति (एम.एस. एक्सेल) में दर्ज करने व प्रबंधित करने साथ ही प्रति वर्ष इसे नवीनीकृत करने के लिए एक व्यवस्था का पालन करने हेतु स्थाई आदेश (फरवरी 2011) जारी किया था। यह व्यवस्था बन संरक्षण, वृक्ष संसाधनों के कुशल प्रबंधन तथा वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए बनाई गई थी। यह व्यवस्था वन संरक्षक बिलासपुर द्वारा बनाई गई थी जो कि वृक्षों की विश्वसनीय व स्थाई सूची रखने के लिए अच्छी थी परन्तु नमूना-जांचित सातों मण्डलों में इसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। आकड़ों के अभाव में वहां कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे यह पता चल सके कि कितने वर्षो से वृक्ष का लगातार नि:स्त्रवण किया जा रहा थाया भविष्य में किया जाएगा। इस प्रकार इन मण्डलों में रेजिन नि:स्त्रवण पर नियंत्रण, वृक्षों की अवैध कटाई तथा अवैध ब्लेजों से सम्बन्धित जानकारी सुनिश्चित नहीं हो पाई।
- उचित गणना प्रणाली की कमी भी नि:स्त्रवण योग्य चीड़ के वृक्षों को सौंपने के सम्बन्ध में जांच हेतु विश्वसनीय आधार प्रदान नहीं कर पायी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान नमूना-जांचित चार[72] मण्डलों में नि:स्त्रवण योग्य 21,80,075 वृक्षों के प्रति (कार्य-योजना में दिए गए गणना विवरण के अनुसार) मात्र 5,56,629 वृक्ष ही रेजिन नि:स्त्रवण हेतु निगम को सौंपे गए।

इस प्रकार, कार्य-योजनानुसार निगम को नि:स्त्रवण योग्य चीड़ वृक्षों को सौंपने में विभाग की विफलता ₹ 9.72 करोड़ राशि के राजस्व की हानि में परिणत हुई।

---

71 कुनिहार, ऊना, कोटगढ़, पावंटा साहिब, मण्डी, रोहडू एवं बिलासपुर ।

72 बिलासपुर- 12,61,900/2,04,155/₹ 6.33 करोड़, कोटगढ़ -2,01,645/39,954/₹ 97.27 लाख, कुनिहार-4,62,570/1,96,411/₹ 1.60 करोड़ व ऊना - 2,53,960/1,16,109/₹ 81.72 लाख (वृक्षों की कुल संख्या/सौंपें गए वृक्ष/राजस्व की हानि)

- इसके अतिरिक्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देश (मई, 2000) के अनुसार प्रत्येक वर्ष नि:स्त्रवण मौसम (अधिकतम 15 दिसम्बर) के अंत में सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारियों द्वारा ब्लेज की हटाने का प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए ताकि आगामी नि:स्त्रवण मौसम (15 मार्च) से पहले ही वन संरक्षक की स्वीकृती प्राप्त की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013 से 2017 के दौरान पांच मंडलों के वन मण्डल अधिकारियों ने निगम को नि:स्त्रवणार्थ रेजिन ब्लेजों की सूची सौंपते समय 31,523[73] रेजिन ब्लेजों की संख्या हटाई थी। तथापि ब्लेजों की संख्या हटाने से पूर्व अरण्यपाल से ली जाने वाली अनिवार्य मंजूरी प्राप्त नहीं की गई तथा नि:स्त्रवण योग्य वृक्षों के विश्वसनीय आकड़ों के अभाव में सूचीसे हटाने का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका। यह वन संरक्षक स्तर पर नियंत्रण तंत्र की कमी को दर्शाता है तथा ₹ 18.90 लाख के राजस्व निहितार्थ युक्त ब्लेजों को अनियमित रूप से हटाने में परिणत हुआ।

विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर 2020) कि उखड़ चुके या सूख चुके कुछ वृक्षों को निगम के माध्यम से दोहन हेतु प्रतिवर्ष चिन्हित किया जाता है। परिणामत: रेजिन नि:स्त्रवण हेतु कार्य-योजना में उल्लेखित वृक्षों की संख्या वन में वास्तविक रूप से गिने गए वृक्षों की संख्या में अन्तर पाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को ब्लेजों के नि:स्त्रवण की सूची निगम को सौंपने से पूर्व अनुमत ब्लेजों की संख्या की जांच करनी चाहिए थी। सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.23.4.4 निगम द्वारा रक्षित संपत्ति की खेप कादोहन न करना

मूल्य निर्धारण समिति ने निर्णय लिया (सितम्बर 2013) कि निगम को सौंपे गई सभी खेपों (रेजिन व लकड़ी) का निगम द्वारा नि:स्त्रवण किया जायेगा तथा उन्हें इस दलील पर वापस नहीं लिया जायेगा कि कोई खेप अनुपयुक्त/बिना नि:स्त्रवण के है। यदि किन्हीं विशिष्ट मामलों में जहां खेप/वृक्ष प्राकृतिक कारणों अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में किसी अन्य विशेष समस्या के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका तब ऐसे मामले समिति के समक्ष इसके निर्णयार्थ सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने होगे। यह भी निर्णय लिया गया था कि निचले भाग की एवं ऊपरी भाग की खेपों सौंपने को क्रमश: 60 दिनों के 90 दिनों के भीतर वन मण्डल अधिकारी तथा मण्डल प्रबंधन द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात् सुदूर क्षेत्रों की अनुपयोगी खेपों को हटाया जाएगा।

कुल्लू मंडल के अभिलेखों की जांच (अगस्त, 2019) में पता चला कि 1535 वृक्षों की एक खेप जिसका आयतन 5702.91 घनमीटर था, मार्च 2007 तक पट्टे पर दोहन हेतु निगम को सौंपी (मार्च, 2006) गई। उपर्युक्त खेप पर वर्ष 2006 की दरों के अनुसार ₹ 47.85 लाख की रॉयल्टी देय थी। लेखापरीक्षा में पाया कि सभी वृक्ष (1535) गिरा दिए तथा 801 वृक्ष जिनका आयतन 3187.15 घनमीटर था, लट्ठों में परिवर्तित कर दिए गए तथा शेष 734 वृक्ष जिनका आयतन 2515.76 घनमीटर था, को लट्ठे में परिवर्तित करने में छूट गए थे। निगम कई बार विस्तार मिलने पर भी निस्तारित खेपों का दोहन कार्य दिसम्बर 2014 तक पूरा नहीं कर पाया। दस वर्ष के विचारणीय विलम्ब के पश्चात् खेप को अनुपयुक्त होने के रूप में नामित करने से सम्बन्धित संयुक्त निरीक्षण (अक्तूबर 2016) किया गया था। आगे यह भी देखा गया कि उपरोक्त खेप से संदर्भित चुकाई गई रायल्टी की प्रारंभिक किस्त ₹ 19.40 लाख मूल्य निर्धारण समिति की स्वीकृति प्राप्त किए बिना आगामी खेपों में समायोजित किया गया जिस पर अरण्यपाल, कुल्लू ने भी आपत्ति उठाई थी। विभाग ने भी खेप वापस लेने अथवा इसका दोहन करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने देखा (नवम्बर, 2019) कि रोहडू मण्डल में 2005 से 2008 की अवधि में 1,468 वृक्षों की दो खेपे (आयतन 5,594.11 घनमीटर) जिनका मूल्य ₹ 14.26 लाख था, निगम को सौंपी गई। निगम ने खेपों का दोहन नहीं किया तथा पट्टा-अवधि समाप्त होने के पांच से सात वर्षों के विलम्ब के पश्चात उन्हें विभाग को वापस लौटा दिया। यह भी देखा गया कि सौंपे गए 5,594.11 घनमीटर आयतन के प्रति निगम ने लकड़ी के मात्र 4,884.03 वर्गमीटर आयतन को ही वापस लौटाया गया था (₹ 1.89 लाख मूल्य का 710.08 वर्गमीटर का कम आयतन लौटाया गया)।

[73] कोटगढ़-1618/(₹ 1,21,835), कुनिहार-9743/(₹ 5,90,396), मण्डी 17,125/(₹ 9,72,496), पावंटा साहिब-217/(₹ 10,850) व सोलन-2,820/(₹ 1,94,535).

इस प्रकार मण्डलों द्वारा पर्यवेक्षण के अभाव के कारण निगम द्वारा खेपों का उपयोग नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 62.11 लाख[74] की रॉयल्टी की वसूली नहीं हो पाई तथा इसके अतिरिक्त निगम द्वारा कम वृक्ष सौंपने के कारण ₹ 1.89 लाख की हानि हुई।

वन मंडल अधिकारी, कुल्लू ने लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को स्वीकार (अगस्त 2019) किया तथा बताया कि समायोजित रॉयल्टी को वापिस लेने हेतु निगम के साथ मामला उठाया गया है। वन मंडल अधिकारी, रोहडू द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.23.4.5 रॉयल्टी की गलत दर लागू होने से रॉयल्टी की अल्प/अवसूली

मूल्य निर्धारण समिति ने निर्णय लिया (अगस्त 2001) कि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त प्रजातियों की भारित औसत बिक्री दर का *प्रतिशत* वर्तमान वर्ष हेतु ऐसी प्रजातियों की रायल्टी दर होगी। डोडरा-क्वार, जहां कठिन कामकाजी परिस्थितियों एवं लकड़ी निष्कर्षण की उच्च लागत को देखते हुए विशेष रियायती दरें निर्धारित की गई है, के अतिरिक्त ये निर्धारित दरें सम्पूर्ण राज्य में एक समान रूप से लागू की गई है। विशेष रियायती दरें 2008 में विशेष पहाड़ी इलाकों हेतु बढ़ा दी गई (यात्रा-भत्ता दरों के आधार पर वर्गीकृत करके)। मूल्य निर्धारण समिति ने विशेष पहाड़ी इलाकों हेतु रायल्टी सामान्य क्षेत्रों हेतु 2016-17 व 2017-18 की अवधि के लिए तय रायल्टी दरों पर 40 *प्रतिशत* की दर से निर्धारित की (मार्च 2017-मार्च2018)।

कुल्लु मण्डल की बकाया रायल्टी से सम्बन्धित आवधिक बकाया/मांग रजिस्टर तथा विवरणियों की जांच में पाया गया कि 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि के दौरान छ: निस्तारित खेपें[75] दोहन हेतु निगम को सौंपी गई थी। उक्त खेपे सामान्य क्षेत्रों से सम्बन्धित थी तथा उसके लिए वन मण्डल अधिकारी, कुल्लु ने ₹ 75.33 लाख की रॉयल्टी, सामान्य दर के अनुसार प्रस्तुत की थी। यद्यपि निगम ने सामान्य दरों के बजाय विशेष पहाड़ी दरों पर स्वयं ही गणना करके ₹ 25.36 लाख की रायल्टी का भुगतान किया (22 फरवरी 2017 व 29 जनवरी 2019 के मध्य)। इस प्रकार, निगम द्वारा रायल्टी दरों की कटौती एवं विभाग द्वारा सामान्य दरों पर रायल्टी की मांग करने में निष्क्रियता, ₹ 49.97 लाख राशि की रायल्टी की अल्प/वसूली में परिणत हुई।

2.23.4.6 विस्तार फीस का अनुदग्रहण

लकड़ी/वृक्षों के दोहन हेतु निगम के साथ हुए मानक पट्टानामा अनुबंध के खण्ड-3 के अनुसार, पट्टे पर दिए गए वन में खड़े हुए शेष वृक्षों, गिराए गए वृक्षों तथा पट्टे पर दिए गए वन हटाई न गई बिखरी हुई/ढेर में पड़ी हुई लकड़ियों पर निगम का पट्टा अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूल्य निर्धारण समीति के निर्णय (सितंबर 2007) के अनुसार, पट्टा अवधि के बाद कार्य अवधि विस्तार के लिए चुकाई गई अथवा चुकाई न गई कुल रायल्टी का 0.20 *प्रतिशत,* प्रति माह की दर पर विस्तार फीस के रूप में उदग्रहित की जायेगी।

नमूना जांचित दो मण्डलों[76] में पाया गया कि निगम 14 रक्षित सम्पति खेपों का दोहन पटटे पर दी गई अवधि के भीतर नहीं कर सका तथा उसने विलम्बित कार्य अवधि हेतु विस्तार की मांग की जो कि 1 से 97 माह का था। हालांकि विभाग ने ₹ 9.56 लाख के विस्तार शुल्क की वसूली हेतु मांग नहीं की एवं जिसका भुगतान भी निगम द्वारा नहीं किया गया।

अत: विस्तार शुल्क की मांग करने में विभाग की निष्क्रियता ₹ 9.56 लाख के राजस्व की अल्प वसूली में परिणत हुआ।

विभाग ने सूचित किया (अक्तूबर, 2020) कि संबन्धित वन मण्डलाधिकारी को निगम के मंडल प्रबंधक के साथ मामले का निपटान करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि विभाग को दिशा कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

---

74 कुल्लू-₹ 47.85 लाख; रोहडू-₹ 14.26 लाख

75 वृक्षों की संख्या- 2,627 एवं आयतन 6,743.87 घनमीटर

76 कोटगढ़ - 7 खेपें; विस्तार फीस - ₹ 2.65 लाख एवं रोहडू– 7खेपें; विस्तार फीस -₹ 7.00 लाख

सरकार वन संरक्षण हेतु वृक्षों तथा दिए गए पट्टों के स्थाई अभिलेख अनुरक्षित करने तथा वृक्ष-संसाधनों के कुशल प्रबंधन एवं वित्तीय संशाधन दक्षता से जुटाने हेतु तंत्र स्थापित करें तथा मण्डलों को निगम के साथ नियमित रूप से रायल्टी, ब्याज एवं विस्तार शुल्क का मिलान करने साथ ही राजस्व की तुरन्त वसूली की मांग करने के निर्देश दें।

2.24 जब्त लकड़ी का निपटान न करना

विभाग ने विभिन्न डिपो में पड़ी 66.098 घन मीटर जब्त लकड़ी का निपटान नहीं किया, जो ₹ 41.17 लाख के राजस्व के अवरोधन में परिणत हुआ।

भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 में कुर्की योग्य सम्पत्ति को जब्त करने का प्रावधान किया गया है। अप्रैल 1951 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार जब्त की गई इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पाद को फार्म 17 में लेखाबद्ध करने के उपरान्त या तो सुपूर्दगार[77]की सुपूर्दगी (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखा जाना चाहिए अथवा सम्बन्धित क्षेत्रीय स्टाफ के पास रखा जाना चाहिए। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने सभी अरण्यपालों को निदेश दिए (अपैल 1999) कि जहां पर वन उत्पादों की सुपुर्दगी अनुचित रूप से लम्बी अवधि हेतु ली गई है वहा सम्बन्धित जांच अधिकारी को ऐसे उत्पादों की निगरानी पर व्यय एवं ऐसे उत्पादनों की चोरी/खराब होने के नुकसान को कम करने के लिए जब्त सम्पति 15 दिनों भीतर की नीलामी करवाने हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त करने को कहा जाए।

अगस्त 2018 तथा मार्च 2019 के दौरान पांच वन मण्डलों के इमारती लकड़ी फार्मो की संवीक्षा में पाया गया कि 11 रेजों में विभाग ने ₹ 41.17 लाख[78] मूल्य की 66.098 घन मीटर लकड़ी जब्त की। विभाग ने अपने राजस्व संग्रह को सुधारने के लिए को जब्त लकड़ी के समय पर निपटान अथवा रूपरेखा बनाने के विभागीय निर्देशों की पुष्टि या समीक्षा नहीं की। अत: 15 दिनों के निर्धारित समय के भीतर जब्त लकड़ी की नीलामी हेतु न्यायिक आदेशों को प्राप्त करने में विभाग की विफलता के परिणाम स्वरूप न केवल राजस्व का अवरोधन हुआ बल्कि निगरानी में भी व्यय हुआ जिससे इमारती लकड़ी के और खराब होने का जोखिम भी उत्पन्न हुआ।

इंगित किए जाने पर वन मण्डल अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि जब्त की गई इमारती लकड़ी की नीलामी हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

यह मामला सरकार को सितम्बर 2018 से अप्रैल 2019 मे मध्य सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2020)।

सरकार विभाग को निर्देश जारी करने के लिए विचार कर सकती हैं कि इमारती लकड़ी के निपटान के लिए निर्धारित समय के भीतर निलामी को सुनिश्चित किया जाए।

2.25 रेजिन ब्लेजों का नि:स्त्रवण न करना

विभाग ने वृक्षों की श्रेणी पर विचार किए बिना चीड़ वृक्षों में दो ब्लेजों के बजाए केवल एक ही ब्लेज लगाया जिसके परिणामस्वरूप 16,127 ब्लेजों का नि:स्त्रवण नहीं हुआ तथा ₹ 8.28 लाख राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग की नियम पुस्तिका खण्ड-IV तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अप्रैल 2007 की अधिसूचना में प्रावधान है कि प्रति चीड़ वृक्ष जिसकी परिधि 1.90 मीटर (60 सेंटी मीटर व्यास) तथा इससे ऊपर है, पर दो ब्लेज लगानी होती है। इसके अतिरिक्त, मूल्य निर्धारण समिति ने मार्च 2017, मार्च 2018 तथा जनवरी 2019 में आयोजित बैठकों में नि:स्त्रवण मौसम 2015 से 2017 हेतु क्रमश: ₹ 65, ₹ 51 तथा ₹ 50 प्रति ब्लेज अंतिम दरे निर्धारित की जो हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम समिति द्वारा वन विभाग को चुकानी थी।

---

77 लम्बरदार या स्थान पर उपस्थित विश्वसनीय व्यक्ति

78 लूहरी में अन्नी: आयतन: 9.510 घनमीटर ₹ 5.58 लाख सलूणी में चुरहा: आयतन: 2.472 घनमीटर ₹ 1.61 लाख, धर्मशाला: आयतन: 5.892 घनमीटर ₹ 4.13 लाख, कोटगढ़: आयतन: 43.705 घनमीटर ₹ 27.16 लाख व किलाड़ में पांगी आयतन: 4.52 घनमीटर ₹ 2.68 लाख

2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा ने 139 मामलों से अंतर्ग्रस्त पांच वन मण्डलाधिकारियों को सौंपी गई रेजिन नि:स्त्रवण के वृक्षों की सूची की नमूना-जांच की तथा देखा कि लुहरी स्थित आनी वनमण्डल में वृक्षों के 49 मामलों में, जहां प्रत्येक वृक्ष की व्यास 60 सेंटीमीटर से अधिक थी, वृक्षों को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम समिति को रेजिन नि:स्त्रवण हेतु सौंपा गया। इनमें से सात मामलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विकास निगम ने अपेक्षित दो ब्लेजों के प्रति 16,127 चीड़ वृक्षों पर केवल एक ही ब्लेज लगाया जबकि वृक्ष का व्यास 60 सेंटीमीटर से अधिक था। इस प्रकार, नियमावली में दी गई प्रक्रियायों का पालन करने में वन मण्डलाधिकारियों की विफलता 16,127 ब्लेजों के अल्प नि:स्त्रवण तथा ₹ 8.28 लाख के राजस्व की अल्प वसूली में परिणत हुई।

विभाग ने बताया (सितम्बर 2020) कि रिल विधि के चलन से पूर्व वृक्षों का नि:स्त्रवण कप-लिप विधि द्वारा किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप वर्तमान ब्लेज के लिए वृक्ष पर कम स्थान मिल सका तथा पहाड़ी इलाका होने के कारण मात्र एक ब्लेज का ही नि:स्त्रवण हो सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह कहीं भी निर्धारित नहीं किया गया है कि किसी विशेष पद्धति को अपनाने से 60 सेंटीमीटर या उससे ऊपर वाले वृक्षों पर दो ब्लेजों के नि:स्त्रवण की प्रक्रिया में में कोई बाधा उत्पन्न होगी तथा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दो ब्लेज लगाना आवश्यक था। सरकार का उत्तर प्रतिक्षित था (नवम्बर 2020)।

सरकार अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन करने हेतु विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करें।